"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 24, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–6/2017/38–2 (पार्ट). — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 836/PU/ISBM/S & O/2017/7136, दिनांक 10–08–2017 द्वारा आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम–नवापारा (कोसमी), ब्लॉक एवं तहसील – छुरा, जिला – गरियाबंद के प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 53 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28(4) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, संयुक्त सचिव.

विषय–वस्तु

38. विज्ञान एवं शिक्षा में एकीकृत स्नातक कार्यक्रम (बी.एस.सी.+बी.एड.)
39. वाणिज्य एवं शिक्षा में एकीकृत स्नातक कार्यक्रम (बी.कॉम.+बी.एड.)
40. कला एवं शिक्षा में एकीकृत स्नातक कार्यक्रम (बी.ए.+बी.एड.)
41. व्यवसाय प्रशासन में डिप्लोमा
42. व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
43. एक्जीक्यूटीव मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
44. पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा
45. डिप्लोमा इन इंटिरियर डिजाईन
46. डिप्लोमा इन फैशन डिजाईन
47. डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टयों का प्रदान किया जाना
48. फेलोशिप, स्कालरशिप, स्टायफण्ड, मेडल और पुरस्कारों को प्रदान करने हेतु मानदण्ड
49. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रभारित किये जाने वाले परीक्षा फीस
50. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास हेतु मानदण्ड
51. विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रावधान
52. विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन के उन्नयन हेतु अन्य निकायों का सृजन
53. अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ समन्वय एवं सहयोग की रीति

अध्यादेश–1

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और उनका नामांकन

आई एस बी एम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और नामांकन इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में विनियमित होगा।

परिभाषाएं

(क) "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है ऐसी परीक्षा जिसको विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. डॉक्टरेट या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देने हेतु अग्रसरित अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण करता है।

(ख) "संविभाग" से अभिप्रेत है कोई परिणाम जिसे संबंधित परीक्षण निकाय अर्थात् माध्यमिक शिक्षा का मान्यता प्राप्त मण्डल जैसे सी.बी.एस.ई., आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा राज्य मण्डल आदि द्वारा एक विषय में विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया हो। ऐसा विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जा सकेगा यदि वह उसी परीक्षा निकाय द्वारा बाद में आयोजित परीक्षा में अंकों का अपेक्षित प्रतिशत अर्जित करता है या बैचलर प्रीपेरेटरी प्रोग्राम में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है ।

(ग) "समकक्ष परीक्षा" से अभिप्रेत है

(एक) माध्यमिक शिक्षा का मान्यता प्राप्त कोई मण्डल, अथवा

(दो) संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संगठन,

(तीन) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो, द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा ।

(घ) "अंतराल कालावधि" से अभिप्रेत है नियमित विद्यार्थी के रूप में शैक्षणिक संस्थान (कोचिंग संस्थाओं को छोड़कर) में अंतिम उपस्थिति की तिथि और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के बीच की कालावधि।

1. प्रवेश हेतु पात्रता

1.1 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के अधीन प्रवेश हेतु कोई व्यक्ति तब तक पात्र नही होगा जब तक वह भारतीय विश्वविद्यालय या मण्डल या विश्वविद्यालय के वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो तथा विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर इन परीक्षाओं के समतुल्य न माना गया हो।

1.2 विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु का निर्धारण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा का पालन करते हुए किया जायेगा।

1.3 किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पूर्व स्नातक डिग्री परीक्षा या विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर समकक्ष डिग्री के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो और ऐसी और योग्यता धारण नहीं करता/करती हो, जैसा कि अध्यादेश द्वारा विहित किया जाये।

1.4 विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थयों को विद्या परिषद् एवं समय–समय पर विवरणिका में प्रकाशित विहित शर्तों को पूर्ण करना होगा।

1.5 प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की अधिकतम संख्या का निर्धारण यदि एवं जहां आवश्यक हो, विभिन्न संवैधानिक निकायों जैसे, अखिल भातीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, बी सी आई, भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि से अनुमोदन एवं पर्याप्त भौतिक सुविधा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर विद्या परिषद् द्वारा किया जायेगा।

2. प्रवेश हेतु प्रावधान

2.1 कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के रूप में प्रवेश का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

2.2 प्रवेश की प्रकिया विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जायेगी एवं विवरणिका में प्रकाशित की जायेगी।

2.3 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, समस्त पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, मेरिट के आधार पर और/या प्रवेश समिति या समुचित शासकीय निकाय, यदि लागू हो, द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर दी जायेगी।

2.4 प्रत्येक सेमेस्टर/अकादमिक वर्ष के शुरूआत में या विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

2.5 प्रवेश हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे–

(एक) नियमित विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी द्वारा अंतिम उपस्थिति का संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र।

(दो) मूल प्रति जिसे सत्यापन के पश्चात् लौटा दिया जायेगा के साथ अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति जिससे दर्शित होगा कि आवेदक, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और विद्यार्थी जो स्वाध्यायी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण है की स्थिति में एक प्रमाण पत्र जिसे दो जिम्मेदार व्यक्ति हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेंगे कि आवेदक का चरित्र अच्छा है। यदि आवेदक प्रवेश हेतु उपरोक्त कथित अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से भिन्न मण्डल से या इस विश्वविद्यालय से भिन्न अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, तो वह पात्रता हेतु विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और/या ऐसे मण्डल या विश्वविद्यालय के सचिव या कुलसचिव से आव्रजन प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिती हो, आव्रजन फीस के साथ या विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जैसा निर्धारित की जाये, प्रस्तुत करेगा। यदि इनमें से कोई कूटरचित, छेड़छाड़ या असत्य पाया जाता है, तो विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा और आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।

2.6 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन भेजने की रीति, सीधे/डाक के माध्यम से/विश्वविद्यालय वेबसाइड/ऑनलाईन के माध्यम से हो सकेगी । विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक भारत या विदेश का कोई विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकता है ।

2.7 प्रवेश समिति आवेदनों पर कार्यवाही करेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को अनंतिम प्रवेश देगी।

2.8 'संविभाग' या पूरक परिणाम के साथ विद्यार्थी को किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में "अनंतिम" प्रवेश दिया जा सकेगा यदि अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें वह अन्यथा सामान्य रूप से प्रवेश प्राप्त करता/करती, यदि वह ग्रेड को उत्तीर्ण करता/करती।

2.9 प्रवेश के समय, प्रत्येक विद्यार्थी और उसका/उसकी माता–पिता या विधिक पालक से इस आशय का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेना अपेक्षित होगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक और धन संबंधी अधिकारिता के अधीन विद्यार्थी स्वयं को रखेगा।

2.10 कोई विद्यार्थी, जिसने अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता देने वाली निकाय से कोई डिग्री या डिप्लोमा के भाग को उत्तीर्ण किया है को संकाय के अधिष्ठाता द्वारा विभाग प्रमुख के परामर्श से इसकी समतुल्यता सुनिश्चित करने के पश्चात् ऐसी परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

2.11 विभिन्न पाठ्यकमों में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रत्येक सत्र के प्रत्येक सेमेस्टर के माह के शुरूआत में या कुलपति द्वारा सुनिश्चित तिथि पर होगा।

2.12 परंतु यह और कि कुलपति को उपरोक्त दी गई प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद वास्तविक कठिनाई की दशा में प्रवेश प्रदान करने की शक्ति होगी ऐसे सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति, पाठ्यकम प्रारंभ होने की तारीख से गणना की जायेगी।

2.13 किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश, विशेषीकृत पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश चाहा गई है में रिक्त सीट की उपलब्धता के अधीन होगी।

3. कतिपय आधारों पर प्रवेश हेतु प्रतिषेध 2

3.1 कोई विद्यार्थी एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेगा।

3.2 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई विद्यार्थी अंशकालीन या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेगा, यदि वह इस उद्देश्य हेतु बनाये गये नियमानुसार प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक अर्हता को पूर्ण करता/करती हो ।

3.3 विद्यार्थी उसी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे। तथापि, वह उसी संकाय के उच्च पाठ्यकम में या उसी स्तर के भिन्न क्षेत्र में अतिरिक्त डिप्लोमा/डिग्री हेतु प्रवेश ले सकता है । किंतु वह पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता हों।

3.4 कोई भी जिसे आई एस बी एम विश्वविद्यालय के समक्ष प्राधिकारी द्वारा, निलंबित, अस्थायी रूप से निकाला गया हो, रोका गया हो, निष्कासित आदि किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश का दावा करने से, प्रतिषेध किया जायेगा।

3.5 यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य/अस्पष्ट पाई जाती है तो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

3.6 कोई अभ्यर्थी जो पूर्ण कालिक नियमित विद्यार्थी के रूप में किसी पाठ्यक्रम में गलत जानकारीयों के आधार पर प्रवेश लिया है तो विश्वविद्यालय में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में उसके अधिकार को समपहरित कर लिया जायेगा तथा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3.7 कोई व्यक्ति जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्काषन की सजा के अधीन हो या परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया गया हो, निष्काषन या अयोग्यता की कालावधि के दौरान इस विश्वविद्यालय के अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही दिया जायेगा।

3.8 कोई विद्यार्थी जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित है उसे संस्थान के किसी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अर्हकारी परीक्षा के यथा समतुल्य विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित न किया गया हो।

3.9 उपर्युक्त उप-खण्ड 2.(5) में अंतर्विष्ट प्रावधानों से प्रतिकूलता के बिना, किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित विद्यार्थी का विभाग के किसी कक्षा में प्रवेश, जहां ऐसा कोई सामान्य या विशेष निर्देश द्वारा ऐसी अनुमति आवश्यक हो, कुलसचिव की पूर्वानुमति के बिना नहीं दिया जायेगा।

3.10 स्नातक डिग्री/ऑनर्स पाठ्यक्रम अग्रसरित करने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किये जायेंगे जब तक विशेषीकृत डिग्री परीक्षा हेतु विहित समस्त विषयों में उपस्थित होने हेतु आवेदक तैयार न हो।

3.11 विद्यार्थी जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग को उत्तीर्ण किया हो उसे कुलपति या पत्रता प्रमाण प्रत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय में ऐसे परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3.12 अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरण पर आ रहे अभ्यर्थियों को क्योंकि उनके माता-पिता/पालक या किसी वास्तविक कारणों से स्थानांतरण हो गया है, प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश दिया जा सकेगा।

4. विद्यार्थियों का नामांकन

4.1 विभाग/स्कूल प्रमुख, प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिवस के भीतर विहित प्ररूप में, प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण, समस्त सुसंगत मूल दस्तावेजों एवं नामांकन फीस के साथ जैसा कि विद्या परिषद समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

4.2 किसी व्यक्ति को आई एस बी एम विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में सही तरीके से नामांकित नहीं हुआ हो।

4.3 प्रवेश के समय विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण और आव्रजन प्रमाण पत्र, आई एस बी एम विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी।

4.4 नामांकित विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय छोड़ते समय आई एस बी एम विश्वविद्यालय की मुद्रा के अधीन नयी स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा आव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

4.5 यदि कोई विद्यार्थी आव्रजन प्रमाण पत्र अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु लेता है तो विश्वविद्यालय से उसका/उसकी नामांकन ऐसे समय तक समाप्त रहेगा जब तक वह आईएसबीएम के कुछ अन्य परीक्षा को लेने हेतु उस विश्वविद्यालयं से आव्रजन प्रमाण पत्र के साथ वापस नही होता/होती है। ऐसे मामलों में नये नामांकन एवं नामांकन शुल्क अनिवार्य होगा।

4.6 कुलसचिव, आईएसबीएम विश्वविद्यालय में शोध कार्य या विभिन्न संकायों में अध्ययनरत सभी नामांकित छात्रों या शोध कार्य कर रहे सभी विद्यार्थियों की एक पंजी संधारित करेगा।

4.7 विद्यार्थियों को नामांकन की सूचना दी जायेगी। नामांकन कमांक जिसमें विश्वविद्यालय के नामांकन पंजी में उसका नाम प्रविष्ट किया गया है तथा विश्वविद्यालय के साथ समस्त पत्राचार में विद्यार्थी द्वारा उस नामांकन कमांक को उद्धृत किया जायेगा और आईएसबीएम विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश हेतु पश्चातवर्ती आवेदनों में उद्धृत की जायेगी।

4.8 कोई नामांकित विद्यार्थी, विहित शुल्क के भुगतान करने पर नामांकन पंजी में उससे संबंधित प्रविष्टियों की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकेगा।

5. **नाम में परिवर्तन.**–

5.1 विद्यार्थी जो नामांकन विभाग के पंजी में अपना नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित संकाय के संस्था प्रमुख या विभाग प्रमुख के माध्यम से कुलसचिव को आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

(एक) विहित शुल्क

(दो) उसका वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से संबंधित शपथपत्र जिसमें अवयस्क की स्थिति में मजिस्ट्रेट या नोटरी की उपस्थिति में उसके माता–पिता या पालक या वयस्क की स्थिति में स्वयं के द्वारा सम्यक् शपथ दिया गया हो ।

(तीन) समाचार पत्र में प्रकाशित प्रति जिसमें नाम में प्रस्तावित परिवर्तन को विज्ञापित किया जा चुका हो जहां महिला अभ्यर्थी विवाह के पश्चात् अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती हो तो ऐसी दशा में प्रकाशन से संबंधित प्रावधान लागू नही होंगे ।
कुलसचिव कुलपति के अनुमोदन के पश्चात ऐसे आवेदनों पर विचार कर उस पर निर्णय लेगा।

6. **विषय परिवर्तन.**–

6.1 विद्यार्थी को सामान्यतः पाठ्यक्रम के वैकल्पिक/गौण/विशेषज्ञता के विषयों को बदलने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक वह प्रवेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अनुमति हेतु आवेदन न किया हो। ऐसे आवेदनों को संबंधित विभाग के प्रमुख की सहमति के साथ संस्था या संकाय के प्रमुख के पास जमा करना चाहिये ।

7. राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन करते हुए विश्वद्यिालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

टीप :– विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित, पुनरीक्षण से संबंधित किसी अस्पष्टता की दशा में कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

8. **प्रवेश समिति.**–

8.1 विश्वविद्यालय में प्रवेश के विनियमन हेतु प्रत्येक संकाय/विभाग में एम.फिल, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु कुलपति द्वारा एक प्रवेश समिति गठित की जायेगी ।

8.2 समिति :

(एक) विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित प्रवेश की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्रों का परीक्षण करेगी;

(दो) प्रवेश परीक्षा (ओं) और/या साक्षात्कार का या अन्यथा उपबंधित अनुसार संचालन करेगी ;

(तीन) प्रवेश परीक्षा (ओं) के मूल्यांकन के पश्चात्, प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों से संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या से तीन गुना आमंत्रित किया जायेगा : परंतु केवल उन अभ्यथियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा जिन्होंने प्रवेश परीक्षा (ओं) में यथा विनिश्चित कम से कम न्यूनतम अंक प्राप्त किये हैं ।

(चार) प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों पर आधार मेरिट सूची तैयार करेगी;

(पॉच) कमेटी के अध्यक्ष या संबंधित संकाय के संस्थान के प्रमुख द्वारा अनंतिम प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी;

(छः) प्रवेश परीक्षा (ओं) की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार की प्रविधि का सुझाव देगी;

(सात) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/बालिका विद्यार्थी श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निबंधन, शर्त एवं प्रावधानों पर कुलपति को अनुशंसा करेगी।

8.3 पदेन सदस्यों के अलावा समिति के सदस्यगण एक शैक्षणिक वर्ष के कार्यकाल हेतु पद धारित करेंगे ।

8.4 कोरम के लिए समिति के सदस्यों की कुल संख्या तीन–चौथाई से कम नही होना चाहिये ।

9. **अंतराष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश**

9.1 प्रस्तावना– ये नियम आईएसबीएम विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की पात्रता एवं प्रवेश हेतु प्रकिया को निश्चित करने के अनुसरण में विरचित किये गये हैं।

9.2 कार्यालय– अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन को संपादित करने एक 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल' स्थापित किया जायेगा। यह सेल न केवल विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करेगा अपितु प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं काउंसिलिंग भी उपलब्ध करायेगी।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों से संबंधित समस्त पत्राचार में संस्थान के अंतराष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार को संबोधित किया जाना चाहिए।

9.3 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थीः– इन मार्गदर्शनों के अधीन 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

एक. विदेशी विद्यार्थी – विदेशी मुल्कों द्वारा जारी पासपोर्ट धारण करने वाले विद्यार्थी जिसमें भारतीय मूल के लोग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने विदेशी मुल्कों की राष्ट्रीयता अर्जित की है विदेशी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे।

दो. अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) – केवल वे अप्रवासी भारतीय विद्यार्थी जिन्होंने विदेशी मुल्कों में विद्यालयों महाविद्यालयों से अध्ययन किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हों, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे। इसमें विदेशी मुल्कों में स्थित विद्यालय महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे यदि वह भारत में अवस्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से संबद्ध हो किन्तु इन विद्यालयों महाविद्यालयों (भारत में अवस्थित) और विदेशी मूल्कों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालयों से संबद्ध में अध्यनरत विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे। भारत में बाह्य विद्यार्थी एवं अप्रवासी भारतीय के रूप में आश्रित हैं, विदेशी मुल्कों में अवस्थित मण्डलों विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे।

देश में प्रवेश पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की प्रवेश स्तरीय प्रास्थिति को अनुरक्षित रखा जायेगा।

9.4 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अपेक्षित दस्तावेज–

एक. वीजाः– समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम को ग्रहण करने हेतु इस संस्थान को पृष्ठांकित करते हुए विद्यार्थी वीसा आवश्यक होगा, अन्य को पृष्ठांकित स्वीकार्य नही होगा। विद्यार्थी जो शोध कार्यक्रम को ग्रहण करने का इच्छुक है, इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीसा अपेक्षित होगा। यह वीसा, पाठ्यक्रम हेतु विहित कालावधि के लिए वैध होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय विद्यार्थियों के लिए वीसा अपेक्षित नहीं है। विद्यार्थी जो किसी अन्य संस्थानों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, अल्पकालिक पाठ्यक्रम ग्रहण करने हेतु पृथक वीसा की आवश्यकता नहीं होगी परंतु यह कि पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण कालावधि हेतु उनका वर्तमान वीसा वेध है।

दो. अनापत्ति प्रमाण–पत्र– समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो किसी शोध कार्य करने का इच्छुक हो या कोई विश्वविद्यालय कार्यक्रम ग्रहण करने का इच्छुक है तो उसे गृह या बाह्य मामलों के मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा परिशोधन और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा यह इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीसा होना चाहिए।

तीन. समय–समय पर यथा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

9.5 पात्रता योग्यताः– विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए आवश्यक योग्यताएं विवरणिका में जांच की जा सकती है। केवल उन विद्यार्थियों को जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) द्वारा यथा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा के मण्डलों से अर्हित हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जब आवश्यक हो, भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसकी समकक्षता की जांच करेगी।

9.6 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश– अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल के माध्यम से होगा। विद्यार्थी को सामान्यतः पाठ्यक्रम के आरंभ में प्रवेश दिया जायेगा। यद्यपि स्थानांतरण की दशा में यदि अभ्यर्थी पात्र है तो अन्य संस्थानों से पाठ्यक्रम के मध्य में भी स्थानांतरण के रूप में विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश दो स्तरों में किया जायेगा। पहले विद्यार्थी संस्था ग्रहण करने, आवेदन प्रपत्र और संस्थान की विवरणिका और संस्थान के वेबसाइट से आवश्यक पात्रता, उपलब्ध पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रकिया हेतु जानकारी प्राप्त करेगा। अनंतिम प्रवेश हेतु आवेदन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल को प्रस्तुत की जायेगी। सेल, पात्रता की जांच कर अनंतिम प्रवेश पत्र जारी करेगा। वीसा प्राप्त करने और अन्य औचपचारिकताओं को पूर्ण करना अपेक्षित है।

अनंतिम प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी को वीसा और अन्य समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी संस्थान में अंतिम प्रवेश हेतु, जहां वह पाठ्यक्रम को ग्रहण करना चाहता/चाहती है, प्रतिवेदन देगा। अगले चरण में संबंधित स्थान से आवेदन प्रपत्र भर कर आवश्यक फीस का भुगतान करेगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी को चिकित्सा परीक्षण कराना होगा। विद्यार्थी आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत/मान्यता प्राप्त कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित अंग्रेजी दक्षता परीक्षा के लिये उपस्थित हो सकेंगे। यह एक बाद हो जाने पर अंतिम प्रवेश दिया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यू.एस. डॉलर में फीस का भुगतान करेगा। विशेष प्रकरण में समकक्ष भारतीय रूपये में फीस का भुगतान करने की अनुमति होगी। अनंतिम प्रवेश अर्जित करने हेतु सामान्यतः निम्नलिखित फीस देय होगी। प्रपत्र फीस (बुलेटिन के मूल्य में सम्मिलित, यदि क्रय किया जाता है); पात्रता फीस एवं प्रशासनिक फीस (सीधे प्रवेश एवं स्थानांतरण के मामले के लिए भिन्न हो सकता है)।

9.7 अंग्रेजी में उपचारात्मक पाठ्यक्रमः विद्यार्थी जिसे अंग्रेजी में प्रवीणता या आधार पाठ्यक्रम के अधीन परीक्षा देना आवश्यक है, विहित फीस जैसा लागू हो का भुगतान करेगा। इसका भुगतान विद्यार्थी तब करेगा जब अंतिम रूप से प्रवेश होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में फीस समय–समय पर भिन्न होगा।

अनंतिम प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात्, विद्यार्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त नहीं करता है तो बैंक कमीशन और डाक फीस जैसा कि लागू हो, कटौती कर प्रशासनिक फीस वापस कर दिया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे भारत के बाहर के विश्वविद्यालय या संवैधानिक मण्डल से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, किसी अन्य संगठन संस्था द्वारा संचालित अंग्रेजी में प्रवीणता परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी को जो या तो अंग्रेजी में प्रवीणता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो या इस परीक्षा में उपस्थित हो सकने में असफल हो, उसे संस्थान द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक अंग्रेजी पाठ्यक्रम या आधार पाठ्यक्रम, ग्रहण करना होगा।

विद्यार्थी पाठ्यक्रम को निरंतर करेगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के लिए उपचारात्मक अंग्रेजी पाठ्यक्रम या आधार पाठ्यक्रम जो भी पहले हो, सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

आई.ई.एल.टी.एस. ने ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए जो अंग्रेजी भाषा में अपनी प्रवीणता को सुधारना चाहता हो, अग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम को अन्य नियमित पाठ्यक्रमों के साथ–साथ या स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

9.8 पाठ्यक्रम का स्थानांतरण या परिवर्तन-- अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। भारत में एक संस्थान से दूसरे में स्थानांतरण की अनुमति भी नहीं दी जायेगी। सामान्यतः अपवादिक मामलों में, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं पाठ्यक्रम की उपलब्धता, पात्रता नियमों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल अनुमति दे सकेगा।

9.9 भारत सरकार के स्कालर-- अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे राष्ट्रीय एजेंसी जैसे कि आई.सी.सी.आर., यूजीसी, नई दिल्ली आदि द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, को प्रवेश देते समय और होस्टल की सुविधा हेतु विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जायेगी। विभिन्न विदेशी सरकारों से प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण, अध्ययन और शोध हेतु उसी तरह से प्राथमिकता दी जायेगी।

9.10 अनुशासन-- अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संस्थान के नियमों से बाध्य होंगे तथा भारतीय विद्यार्थी भी आचरण संहिता यदि लागू हो, उसी तरह से बाध्य होंगे।

9.11 परीक्षा तथा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों का प्रदान किया जाना – परीक्षा, परीक्षा फीस का भुगतान, अंकसूची जारी करने, उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों को जारी करना, डिग्री दिये जाने की प्रकिया भी ऐसी होंगी जैसा कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन पाठ्यक्रमों में है। स्नातक पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी को डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान एक बार पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। पर्यावरण अध्ययन के अंक किसी भी दशा में श्रेणी को प्रभावित नहीं करेंगे।

9.12 उपसंहार-- नियमों के निर्वचन पर कोई भिन्नता होने की स्थिति में प्रवेश समिति सेल का अभिमत अंतिम होगा। फीस, पुनरीक्षण के दायित्वधीन होगा तथा जब लागू हो, विद्यार्थी पुनरीक्षित फीस का भुगतान करेगा। कोई बिन्दु जो विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हुआ हो, कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

10. निर्देश का माध्यम – आई.एस.बी.एम. में निर्देश का माध्यम, विशेषीकृत भाषाओं से संबंधित विषयों को छोडकर अंग्रेजी और/या हिन्दी होगी।

अध्यादेश–2
विश्वविद्यालय की परीक्षा

अध्याय–एक

परिभाषाएं :

1.1 शैक्षणिक कार्यक्रम से अभिप्रेत है स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा, एम.फिल., पी.एच.डी. डिग्री एवं प्रमाणपत्र के लिए अग्रसरित पाठ्यक्रम एवं/या कोई अन्य विषय।

1.2 शैक्षणिक वर्ष से अभिप्रेत है शिक्षण एवं संबंधित परीक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समर्पित 12 वर्ष की कालावधि।

1.3 एटीकेटी अभ्यर्थी से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में 35% से अधिक न होने के कारण असफल हो गया हो जहॉं 35% की गणना में हमेशा उच्चतर अंक से पूर्णांकित किया जायेगा तथा पुनः उसी सेमेस्टर परीक्षा में जो आगामी सेमेस्टर परीक्षा में आयोजित किया जाता हो, में उपस्थित हो रहा हो ।

1.4 अभिप्रमाणित से अभिप्रेत है अग्रेषण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित

1.5 सह परीक्षक से अभिप्रेत है प्रश्नपत्र सेटर से भिन्न लिखित प्रश्नपत्र का सह परीक्षक।

1.6 पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है उसके द्वारा समनुदेशित महत्वपूर्ण कोड नम्बर एवं विशिष्ट क्रेडिट/अंक से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम के संघटक।

1.7 भूतपूर्व विद्यार्थी से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो नियमित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में प्रवेश लिया था तथा उसे उस समय सफल घोषित नहीं किया गया था अथवा प्रवेश पत्र के माध्यम से जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था सही था, परीक्षा में उपस्थित होने में समर्थ नहीं था तथा उक्त परीक्षा में पुनः प्रवेश चाहता है ।

1.8 बाह्य परीक्षक से अभिप्रेत है परीक्षक जो विश्वविद्यालय या उसकी संस्था/केन्द्र/विभाग के नियोजन में हो।

1.9 अग्रेषण अधिकारी से अभिप्रेत है :

अग्रेषण अधिकारी से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख/संस्था/विभाग/केन्द्र जहॉं अभ्यर्थी के द्वारा नियमित या पूर्व में नियमित अभ्यर्थी के रूप में अध्ययन पाठ्यक्रम को नियमित रूप से किया गया हो तथा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में उपस्थित होना चाहता हो ।

1.10 आंतरिक परीक्षक से अभिप्रेत है परीक्षक जो विश्वविद्यालय या उसकी के नियोजन में हो।

(एक) सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की दशा में, परीक्षक, प्रश्नपत्र सेटर सहित जो विश्वविद्यालय, रूप में चिन्हांकित संस्था का शिक्षक हो।

(दो) प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, परीक्षक जो विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र में परीक्षा दिया जा रहा है, का शिक्षक होगा।

1.11 नियमित अभ्यर्थी से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या संस्था या केन्द्र में अध्ययन पाठ्यक्रम में नियमित रूप से हो, तथा जो इस प्रकार आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश चाहता हो।

1.12 नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या संस्था/केन्द्र में प्रत्येक विषय जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा देने का आशय रखता हो, में नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम ।

1.13 द्वितीय एटीकेटी अभ्यर्थी से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो सेमेस्टरांत परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में 35% से अधिक अंक प्राप्त न करने के कारण असफल हो गया हो तथा आगामी सेमेस्टरांत परीक्षा में आयोजित उसी परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने में पुनः असफल हो गया हो तथा आगामी बैच अर्थात् जूनियर बैच (उससे तत्काल जूनियर बैच) के विद्यार्थियों के लिये आयोजित उसी परीक्षा के नियमित सेमेस्टरांत परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करने के लिये द्वितीय एवं अंतिम बार उपस्थित हुआ हो ।

1.14 सेमेस्टर प्रणाली– से अभिप्रेत है प्रोग्राम जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, प्रत्येक छः माह का दो सेमेस्टर में नियत है।

1.15 विद्यार्थी से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के प्रयोज्य अनुसार, किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय एवं उसके सहबद्ध संस्थाओं/केन्द्रों के विभागों में प्रवेशित व्यक्ति।

1.16 विश्वविद्यालय से अभिप्रेत हैं आईएसबीएम विश्वविद्यालय ।

अध्याय–दो

2. विश्वविद्यालयीन परीक्षा

2.1 विश्वविद्यालय, विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित सभी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम के लिये परीक्षा आयोजित करेगा तथा वह निर्धारित शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित सिलेबस के अनुसार, यथास्थिति, बैचलर/मास्टर डिग्री, स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये समय–समय पर अधिसूचित कर सकेगा ।

2.2 विश्वविद्यालय की परीक्षा नियमित विद्यार्थियों एवं भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ रहेगा।

परंतु विद्या परिषद्, ऐसी शर्तों जैसा कि विद्या परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए, को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए किसी विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयीन परीक्षा हेतु, अभ्यर्थी के किसी अन्य प्रवर्ग को भी अनुज्ञात कर सकेगा।

2.3 कोई व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय से निष्काषित अथवा निस्सारित किया गया है या विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, को दण्ड के प्रचलित रहने की अवधि के दौरान किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

परंतु विद्यार्थी को उपस्थिति में कमी के कारण एवं विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यादेश में यथा उपबंधित अन्य कारण से सेमेस्टर/वर्षांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगा।

3. कार्यक्रम विषय–वस्तु एवं अवधि

3.1 बैचलर/मास्टर डिग्री, एफ.फिल. डिग्री तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित कार्यक्रम के सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं/या अन्य विषयवस्तु समाविष्ट होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट क्रेडिट/अंक के अंतर्गत समय–समय पर अधिमान्यता दी जायेगी।

3.2 कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि में, शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम के लिये सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अवधि होंगे।

3.3 कार्यक्रम जिसके लिए विहित कार्यक्रम अवधि सेमेस्टर में है को पूरा करने के लिये न्यूनतम अनुज्ञेय अवधि, (n+4) सेमेस्टर होगा जहां "n" सेमेस्टर का कुल संख्या है। कार्यक्रम की सभी अपेक्षाएं (n+4) सेमेस्टर में पूरा करना होगा।

4. सेमेस्टर

4.1 शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होंगे प्रत्येक दो सेमेस्टर लगभग 23 सप्ताह की कार्यवधि की होगी।

4.2 शैक्षणिक कैलेण्डर, शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

4.3 शिक्षण कार्य के लिए समर्पित सेमेस्टर के शैक्षणिक ब्यौरा निम्नानुसार होगा–

(क) शिक्षण प्रदान करना एवं/या प्रयोगशाला कार्य (क्लास टेस्ट सहित) – 19 सप्ताह

(ख) तैयारी का अवकाश – 01 सप्ताह

(ग) सेमेस्टरांत परीक्षा, प्रायोगिक/प्रयोगशाला परीक्षा सहित – 03 सप्ताह

5. आंतरिक अंकों की प्रस्तुति

असाइनमेंट, क्लास टेस्ट का परिणाम एवं उपस्थिति का विवरण, सेमेस्टरांत परीक्षा के प्रारंभ के कम से कम 10 दिनों के पूर्व परीक्षा के नियंत्रक को प्रस्तुत किया जायेगा। क्लास टेस्ट, असाइनमेंट एवं उपस्थिति के विहित अधिमान्यता पर आंतरिक अंक दिया जायेगा।

6. विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रवेश

6.1 समस्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने अनुमति के लिए विहित परीक्षा प्रपत्र भरना होगा जो संकाय के विभाग प्रमुख के माध्यम परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित किया जायेगा।

6.2 विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय नामांकन पंजी से सभी आवेदन पत्रों की जॉच करेंगे और अधुरे आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक को होगी। साथ ही ऐसे प्रकरणों में अस्वीकृत आवेदन पत्रों से और जानकारी प्राप्त कर मामले की वास्तविकता के आधार पर परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दे सकते है।

6.3 नियमित विद्यार्थियों के आवेदन को अग्रेषित करते समय संकाय के संबंधित संस्थान का प्रमुख प्रमाणित करेगा कि :

(एक) अभ्यर्थी ने सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाणपत्र द्वारा उसे संतुष्ट कर दिया है, कि वह परीक्षा उत्तीर्ण है जिसे अगले परीक्षा हेतु अर्हकारी है।

(दो) अभ्यर्थी विहित कालावधि से अध्ययन के पाठ्यक्रम में नियमित रूप अध्ययनरत है तथा वह आवश्यक उपस्थिति की प्रतिपूर्ति करता है।

(तीन) उसका आचरण संतोषजनक है।

6.4 नियमित विद्यार्थी द्वारा विहित परीक्षा फीस के भुगतान की पावती के साथ इस अध्यादेश के सेट में आवेदन प्रस्तुत की जायेगी। भूतपूर्व विद्यार्थी, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति हेतु परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पर या घोषणा होने की तिथि के पूर्व पहुंचेंगे।

6.5 अभ्यर्थी को विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के 7 दिवस के भीतर परीक्षा फीस एवं विहित विलंब फीस के साथ सेमेस्टर परीक्षा हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति परीक्षा नियंत्रण/कुलसचिव दे सकेगा।

6.6 एटीकेटी के लिए पात्र परीक्षार्थी अपना आवेदन पत्र परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को एटीकेटी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

6.7 द्वितीय एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये आवेदन संकाय में संस्था प्रमुख/संस्था प्रमुख या संबंधित विभाग के माध्यम से इसमें विहित एवं विनिर्दिष्ट प्रारूप में नियमित सेमेस्टर प्रारंभ होने के 30 दिवस के पूर्व परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

(एक) विषय या विषयों जिसमें वह परीक्षा हेतु प्रस्तुत होने की इच्छा रखता/रखती हो।

(दो) उसे पूर्व की परीक्षा में प्रवेश दिया गया था इसका आवेदन साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(तीन) भूतपूर्व विद्यार्थी को विषयों या वैकल्पिक पत्रों में जिसमें नियमित अभ्यर्थी के रूप में पूर्व में ऑफर दिया गया था, ऑफर दिया जायेगा यदि परीक्षा की योजना में परिवर्तन नहीं होता है तो परीक्षा हेतु परीक्षा या पाठ्यचर्या के योजना का एक भाग बंद होने पर उसके द्वारा प्रश्न पत्र/विषय का ऑफर दिया जायेगा तथा विभिन्न विषय या प्रश्न पत्र के ऑफर के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी।

(चार) भूतपूर्व विद्यार्थी को विभिन्न विषयों में अध्ययन के विनिर्दिष्ट महत्व के पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।

6.8 विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा :

(एक) अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/केन्द्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकित न हो।

(दो) परीक्षा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम को नियमित रूप से नहीं किया हो, जिसमें वह प्रवेश चाहता हो, परीक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारण न करता हो।

(तीन) इस अध्यादेश के समस्त अन्य प्रावधानों से संतुष्ट न हो जो उस पर लागू होते हो एवं कोई अन्य अध्यादेशों से नियंत्रित होने वाले प्रवेश परीक्षा जिसमें वह प्रवेश चाहता/चाहती हो।

6.9 जहां अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय का प्रस्ताव करता है, ऐसे अतिरिक्त विषय की दशा में समान रूप में न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता लागू होंगी।

6.10 अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम के संबंध में शर्तों को पूरा करने हेतु उपस्थिति की गणना निम्नानुसार होगी:-

(एक) शैक्षणिक सत्र के दौरान दिये गये व्याख्यानों एवं प्रायोगिक/क्लीनिकल/सत्र में उपस्थिति, यदि कोई हो की गणना होगी।

(दो) उच्च कक्षा में नियमित विद्यार्थी द्वारा उपस्थिति रखी जायेगी तथा निम्न कक्षा की परीक्षा हेतु उपस्थिति के प्रतिशत की गणना की जायेगी जिसमें उसके परिणाम के रूप में द्वितीय एटीकेटी परीक्षा में अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण में वापस किया जा सके।

6.11 अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या परीक्षक के समक्ष प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता या ऐसे अधिकारियों को संतुष्ट न कर देता है कि प्रवेशपत्र प्रस्तुत करूँगा। अधीक्षक या परीक्षक द्वारा प्रवेशपत्र जब भी मांगा जाये, अभ्यर्थी, प्रस्तुत करेगा।

7. उपस्थिति

7.1 अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल समझा जायेगा, यदि वह व्याख्यान, शिक्षण संबंधी और प्रयोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थित रहता है। परंतु विद्या परिषद विशेष परिस्थितियों में उसके द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर ऐसी उपस्थिति की कमी को माप कर सकेगा ऐसी स्थिति में उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम मान्य नहीं होगी।

7.2 बीमारी के कारण, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के कैम्प और परेड में उपस्थिति, अंतर विश्वविद्यालयीन या अंतरराज्यीय विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में विश्वविद्यालयीन टीम के सदस्य के रूप में भागीदारी तथा विहित शैक्षणिक यात्रा / फील्ड का दौरा / फील्ड कार्य और कोई अन्य कारण से कुलपति द्वारा विद्यार्थी को कुल उपस्थिति के 15ः की अधिकतम वृद्धि हेतु छूट दे सकता है, परंतु प्रभारी शिक्षक द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित उपस्थिति अभिलेख को संबंधित संस्था प्रमुख को कार्य / गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर, भेजेगा।

7.3 परंतु यह और कि बीमारी / चिकित्सकीय अयोग्यता की स्थिति में, माफी का आवेदन पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी / लोक चिकित्सालय द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन)) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र या आईएसबीएम विश्वविद्यालय / संस्थान / विभाग / अध्ययन केन्द्र के पदीय चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित समर्थित होगा। ऐसा आवेदन, इलाज / चिकित्सालय में भर्ती होने की अवधि के दौरान या स्वास्थ्य लाभ होने के दो माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

8. मूल्यांकन एवं परीक्षा

8.1 पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण अधिभार तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना का निर्धारण, पाठ्यक्रम के केडिट / अंक के अध्यधीन होगा।

8.2 पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के दो तत्व होंगे यदि शिक्षण और परीक्षा तथा पाठ्यचर्या की योजना में अन्यथा कथन विनिर्दिष्ट न हो :

(एक) सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से

(दो) पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन

8.3 नियमित मूल्यांकनः कुलपति के अनुमति से अध्ययन मण्डल ऐसे पाठ्यक्रमो में जहाँ सतत मूल्यांकन निर्धारित किया गया है वहाँ कक्षा परिक्षण,प्रश्नोत्तरी, कार्य एवं समूह चर्चा पर आधारित होगा।

8.4 एसाइनमेंट (सौंपे गए कार्य)

(एक) एसाइनमेंट के जारी, प्रस्तुत एवं मूल्यांकन करने का दायित्व विभाग प्रमुख की होगी। वह पूरी ईमानदारी से एसाइनमेंट की तैयारी और मूल्यांकन को बनाये रखेगा।

(दो) सभी कक्षा, समूहों में विभाजित होगी। प्रत्येक समूह को न्यूनतम सामान्यता के साथ पृथक से एसाइनमेंट दिया जायेगा।

(तीन) विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय पर या संकाय द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम दो एसाइनमेंट दिये जायेंगे।

(चार) प्रत्येक विद्यार्थी, प्रस्तुतीकरण / साक्षात्कार की प्रकिया के माध्यम से प्रस्तुति के पश्चात् एसाइनमेंट के लिए पक्ष रखना आवश्यक होगा।

(पांच) एसाइनमेंट को विभिन्न विभागों के लिए समय–समय पर विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित मानक प्ररूप अनुसार तैयार किया जायेगा।

(छः) विद्यार्थी को एसाइनमेंट जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर एसाइनमेंट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(सात) अंतिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये एसाइनमेंट का मूल्यांकन, 50ः अंको से अधिक नहीं की जायेगी।

8.5 शोध लेख / थीसिस

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के शोधलेख / थीसिस हेतु, जहां कहीं पाठ्यचर्या में विनिर्दिष्ट है, आंतरिक परीक्षकों जो सामान्यतः पर्यवेक्षक होंगे तथा एक या अधिक बाह्य परीक्षक होंगे से मिलकर बनी समिति द्वारा मूल्यांकन किये जायेंगे एवं अंक दिये जायेंगे। आंतरिक परीक्षक, 40% में से अंक देंगे तथा बाह्य परीक्षक 60% में सें अंक देंगे। इस अध्यादेश में यथा विनिर्दिष्ट सुझाये गये तीन या अधिक नामों के पैनल से कुलपति द्वारा परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। विश्वविद्यालय को अधिकार

होगा कि वह शिक्षकों के नियमित मूल्यांकन परिनियमित रखने हेतु बुलाये जैसा कि किसी विशिष्ट प्रकरण में उसे उचित प्रतीत हो।

8.6 सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन
स्नातक डिग्री / अंडर स्नातक / डिप्लोमा

अ.	सैद्धांतिक पाठ्यक्रम		
	(एक) सेमेस्टर अंत परीक्षा	70%	70%
	(दो) शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन	30%	30%
ब.	प्रयोगिक / प्रयोगशाला पाठ्यक्रम		
	(एक) सेमेस्टर अंत परीक्षा	70%	70%
	(दो) शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन	30%	30%
स.	शोध लेख / थीसिस		
	(एक) बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	60%	60%
	(दो) आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	40%	40%
द.	कार्यक्रम के कोई अन्य तत्व उपरोक्त के अंतर्गत न हों तो अधिकार के तत्व शासी निकाय द्वारा समर्थित अध्ययन मण्डल द्वारा विहित किया जायेगा।		

9. श्रुति–लेख की नियुक्ति

9.1. श्रुति लेख निम्नलिखित की दशा में अनुज्ञात किया जायेगाः–

(एक) दृष्टिहीन अभ्यर्थी; और

(दो) अभ्यर्थी जो दुर्घटना या बीमारी के कारण असमर्थ है और स्वयं के हाथों से लिख पाने में असमर्थ है। उपरोक्त

9.1 (ख) के अधीन अभ्यर्थी को जिला चिकित्सक मण्डल या आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.2 परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने पर, श्रुति लेखक की नियुक्ति हेतु व्यवस्था करेगा और संबंधित परीक्षा अधीक्षक को सूचित करेगा।

9.3 श्रुति लेखक, संबंधित अभ्यर्थी की अपेक्षा कम योग्यता का व्यक्ति होगा।

9.4 परीक्षा अधीक्षक, असमर्थ अभ्यर्थी के लिए समुचित कक्ष की व्यवस्था करेगा तथा परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिये गये सूची से विशेष परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

9.5 दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को, परीक्षा के 3 घंटे की अवधि के स्थान पर एक घंटा अतिरिक्त दिया जायेगा।

9.6 श्रुति लेखक को, विद्यमान अनुमोदित दर में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा मानदेय दिया जायेगा।

10. एटीकेटी अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मापदण्ड :

10.1

(एक) अभ्यर्थी, जो किसी सेमेस्टर / वर्षांत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो और विशिष्ट सेमेस्टर / वर्ष जिसमें प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है, के पत्रों की कुल संख्या 35% से अधिक न हो, एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये पात्र होंगे ।

(दो) परन्तु यदि अभ्यर्थी एटीकेटी के प्रथम प्रयास में किसी भी प्रश्न पत्र में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ है तो वह आगामी दूसरे एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने हेतु पात्र होगा ।

10.2 एटीकेटी परीक्षा के विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा भी है, की स्थिति में, अभ्यर्थी को केवल लिखित परीक्षा में, यदि वह मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक में उत्तीर्ण हो गया हो और केवल प्रायोगिक में यदि वह लिखित प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हो, उपस्थित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी जो लिखित प्रश्न पत्र और प्रायोगिक दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया हो, को विषय के दोनों भाग मे परीक्षा देना होगा। प्रायोगिक और

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर, दो विभिन्न प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण करने में असफल विद्यार्थी के रूप में परीक्षा लिया जायेगा।

10.3 इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अभ्यर्थी, जिसे एटीकेटी परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया जा चुका हो, एटीकेटी परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में तत्काल होनी वाली अगली परीक्षा जिसमें उसे इस प्रकार के पात्र होने के लिये विवर्जित किया गया था, में उपस्थित हो सकेगा और उसके पश्चात् अगली परीक्षा में समस्त प्रश्न पत्र में उपस्थित होना आवश्यक होगा ।

10.4 कोई अभ्यर्थी जो एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो, यदि वह विषय या समूह, जैसी भी स्थिति हो, में इस परीक्षा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करता हो, परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा । एटीकेटी सेमेस्टरांत परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक अंकों को, परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम डिवीजन प्राप्तांक का अवधारण करते हुए गणना में लिया जायेगा ।

10.5 अभ्यर्थी के प्रथम प्रयास में उसके एटीकेटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल होने की स्थिति में, जब कभी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती है, विशिष्ट सेमेस्टर की नियमित परीक्षा में उन प्रश्न पत्रों के साथ उत्तीर्ण करने हेतु, उसी विशिष्ट अभ्यर्थी को द्वितीय एटीकेटी के रूप में ज्ञात एक और प्रयास करने हेतु अवसर दिया जायेगा ।

10.6 यदि ऐसा अभ्यर्थी, द्वितीय ऐटीकेटी के रूप में ज्ञात द्वितीय प्रयास में अपने प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने में असफल हो जाता है तो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना नहीं रह पायेगा।

अध्याय –तीन

11. विश्वविद्यालय परीक्षा का संचालन

11.1 विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें, कुलसचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा संचालित की जायेगी ।

11.2 परीक्षा की रूपरेखा, विश्वविद्यालयीन परीक्षा के प्रारंभ होने के प्रथम दिन से कम से कम 10 दिन पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

11.3 सैद्धांतिक के साथ–साथ प्रायोगिक परीक्षाओं एवं शोध लेख/थीसिस/परियोजना प्रतिवेदन/प्रशिक्षण प्रतिवेदन के सभी परीक्षकों की नियुक्ति, कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा की जायेगी ।

11.4

(एक) परीक्षा नियंत्रक प्रश्न पत्रों एवं उसे भेजे गये उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित अभिरक्षा के लिये व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा और उपयोग किये गये अनुपयोगी प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सम्पूर्ण रिपोर्ट विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(दो) अधीक्षक, अपने अधीन कार्यरत परीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसे जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कड़ाई से परीक्षा संचालित करेगा।

11.5 कुलपति समय–समय पर, गुणवत्ता आडिटर मण्डल की नियुक्ति यह दृष्टिगत रखते हुए कर सकेगा कि अभिकथित नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षाओं को कड़ाई से संचालन हो । नियमों या प्रक्रियाओं के भंग होने के बिन्दु पर गुणवत्ता आडिटर की दशा में कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो, इसमें केन्द्र में परीक्षा के सम्पूर्ण या किसी भाग को रोकना या रद्द करना भी सम्मिलित है तथा यदि किसी ऐसी कार्यवाही, कार्यवाही रिपोर्ट पर कर ली गई है तो उसे, प्रबंध मण्डल को उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।

11.6 यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य केन्द्र अधीक्षक का होगा कि यदि परीक्षार्थी वही व्यक्ति है जिसने परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन प्रपत्र भरा हुआ है, तो उसके आवेदन पत्र पर चस्पा किये गये फोटो की सही तरीके से जॉच करें ।

11.7 परीक्षा अधीक्षक, आवश्यकतानुसार, परीक्षकों के प्रदर्शन और परीक्षार्थी के सामान्य व्यवहार का उनमें उल्लेख करते हुए, परीक्षा संचालन के बारे में परीक्षा नियंत्रक को गोपनीय प्रतिवेदन भेजेगा । वह प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित हुए परीक्षार्थियों की संख्या, अनुपस्थितों के रोल नम्बर एवं केन्द्र में हुए परीक्षा से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आवश्यक समझा जाये, किसी अन्य मामले के साथ–साथ जिसे वह विश्वविद्यालय की जानकारी में लाना उचित समझे, पर प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजगा । वह, परीक्षा के संचालन के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि और उपगत व्यय के लेखा विवरण संधारित करने हेतु तथा परीक्षा नियंत्रक को भी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11.8 केन्द्र अधीक्षक को पश्चातवर्ती परीक्षा के दिनों पर परीक्षार्थी को निम्न में से किसी भी आधार पर परीक्षा से बाहर करने की शक्ति होगी :

(एक) परीक्षर्थी ने परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग किया है।

(दो) परीक्षार्थी ने परीक्षक या परीक्षा कार्य के साथ न्यस्त स्टॉफ के सदस्यों को गंभीर आक्रमक मानोवृत्ति का प्रदर्शन किया हो ।

(तीन) यदि आवश्यक हो, अधीक्षक को पुलिस की सहायता प्राप्त हो सकेगी । जहॉं अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया हो, वहॉं परीक्षा नियंत्रक को तुरन्त सूचना दी जायेगी ।

(चार) अन्यथा निर्देश के सिवाय, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों को, अधीक्षक द्वारा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा । यदि अपेक्षित हो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भी परीक्षकों को बुलाया जा सकेगा ।

(पॉंच) परीक्षार्थी किसी भी प्रयोजन के लिये, परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा के भीतर परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा और इसके प्रारंभ होने के आधा घंटा के बाद परीक्षा कक्ष में विलम्ब से पहुंचने वालों को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(छः) परीक्षार्थी, परीक्षा कक्ष को अस्थायी रूप से छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो न्यूनतम 30 मिनट की अवधि के लिए ऐसी अनुमति दी जायेगी ।

(सात) परीक्षार्थी को अस्थाई रूप से परीक्षा हॉल को छोड़ने की अनुमति 15 मिनट तक ही होगी किसी भी परीस्थिति में इससे ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।

11.9 कुलपति, ऐसे सभी केन्द्रों की परीक्षा रद्द कर सकेगा यदि वह संतुष्ट होता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है या कोई अन्य अनियमितता है जिसके लिए उसकी राय में कदम उठाना या प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट देना चाहिए।

11.10 कुलपति परीक्षा संचालित करने हेतु जैसा कि वह सुचारू संचालन के लिए आवश्यक महसूस करें, सामान्य सूचना जारी कर सकेगा ।

11.11 यदि अभ्यर्थी के पास प्रश्न पत्र में कोई कमी मिलने की कोई संसूचना है तो वह कुलसचिव को संबोधित करेगा किन्तु उसे परीक्षा नहीं देने या उसकी संसूचना के बाहर आने से उसके हित की प्रत्याशा में किसी प्रकर से बीच में उसे छोडने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11.12 विश्वविद्यालय के विभागों में चल रहे कार्यक्रमों के लिये परीक्षक के नामों की अनुशंसा संबंधित अध्ययन मण्डल से प्राप्त की जा सकेगी । अत्यावश्यक होने पर और अध्ययन मण्डल की बैठक न होने पर, अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष, कि क्यों न अध्ययन मण्डल की बैठक बुलाई जाए, का स्पष्ट कथन करते हुए नामों की अनुशंसा करेगा ।

11.13 प्रश्नपत्र सेटर से प्रश्नपत्र प्राप्त होने के पश्चात्, माडेरेटर द्वारा उसमें सुधार किया जायेगा जो कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के अनुमोदन से विषयवार नियुक्त होंगे। परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विषय में सही तरीके से सुधार किये न्यूनतम तीन प्रश्न पत्र, प्रश्नपत्र बैंक में उपलब्ध होंगे।

11.14 परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र बनाने हेतु अनुमोदित पैनल में से नियुक्त परीक्षक, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का उपयोग करते हुये जहॉं पर लागू हों, केवल प्रश्नपत्र प्ररूप हेतु मार्गदर्शन के रूप में यदि विद्या परिषद द्वारा प्रश्नपत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया हो, प्रश्नपत्र सेट करेगा । प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के समस्त पाठ्यचर्या से बनाया जायेगा ।

11.15 अभ्यर्थी के परीक्षा के मामले में अधिमान्य उपचार प्राप्त करने हेतु, उसके निमित्त या उसके द्वारा कोई प्रयत्न किया गया है तो मामले की रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक को दी जायेगी जो मामले को कुलपति के समक्ष आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु रखेगा ।

11.16 परीक्षा समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित को छोड़कर, परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के पत्री और प्रति पत्री तथा परीक्षा उत्तर पुस्तिका को, तालिका परिणामों को छोडकर, परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तिथि से 12 माह के पश्चात् नष्ट या अन्यथा नष्ट कर दिया जायेगा।
परंतु पुनर्मुल्यांकन के पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनमूल्यांकन परिणाम के घोषण के केवल 6 माह के पश्चात् ही नष्ट/खत्म कर दिया जायेगा।

11.17 परीक्षा नियंत्रक, इंटरनेट के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यालय के सूचना पटल पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा के संयुक्त परिणामों को प्रकाशित करेगा।

11.18 प्रश्न पत्र सेटर, उत्तर लेखन, मूल्यांकन कर्ताओं, परीक्षकों, अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों, जांचकर्ताओं, तालिकाकारों, कम मिलान कर्ताओं को मानदेय दी जायेगी तथा चूक किया गया सूचित होने पर उसने ऐसी कटौती की जायेगी जैसा कि परीक्षा समिति द्वारा विहित किया जाए।

11.19 जहां पुनर्मुल्यांकन हेतु विद्यार्थी आवेदन करता है, विषयों की उत्तर पुस्तिका जिसमें पुनर्मुल्यांकन चाही गयी है, जो पहले मूल्यांकित किया है, से भिन्न परीक्षक को भेजा जायेगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया परीक्षक, केवल उन प्रश्नों जिसे अचिन्हित किया हो, को मूल्यांकित एवं जांच करेगा। वह कुल नंबरों की भी जांच करेगा। पहले से ही मूल्यांकित प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मुल्यांकन नहीं होगा। विद्यार्थी के अंकों में परिवर्तन तभी होगा यदि पूर्व के मूल्यांकन के अंकों एवं पुनर्मुल्यांकन के अंकों में 10% से अधिक अंतर हो या विद्यार्थी, परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण हुआ हो जो पूर्वोक्त अंतर, 10% से अनधिक हो।

11.20 परंतु यह कि ऐसे परीक्षक, प्रबंध मण्डल द्वारा यथा विहित मानदेय प्राप्त करेंगे।

11.21 कोई भी अभ्यर्थी, एक से अधिक डिग्री परीक्षा या एक से अधिक मास्टर डिग्री परीक्षा में एक से अधिक विषय में उसी वर्ष में उपस्थित नहीं होगा।

11.22 कोई व्यक्ति, जिसे किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से निष्काषित या अस्थायी रूप से निकाला गया हो या विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से रोका गया हो, अवधि जिसमें सजा प्रचलन में हो, उस अवधि के दौरान किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11.23 विश्वविद्यालय की परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, विशेष मामलों में, जिसमें वह संतुष्ट हो कि परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुआ विलंब, अभ्यर्थी के जागरूकता में कमी या उपेक्षा के कारण से नहीं है तथा यह विद्यार्थी के लिए गंभीर कठिनाई होगी यदि उसके आवेदन को निरस्त किया जाता है। अभ्यर्थी, जो प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर यथाविहित विलंब फीस के साथ सभी पहलुओं को अन्यथा पूर्ण करता है, का आवेदन अनुज्ञात किया जायेगा भले ही वह पूर्वागामी पैरा में उल्लिखित 15 दिन की अवधि के अवसान के बाद ही प्राप्त हो।

11.24 (1) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसे सम्यक रूप से जारी किये गये वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता। परीक्षा नियंत्रक अभ्यर्थी के पक्ष में एक आवेदन पत्र जारी करेगा, यदि –

(एक) अभ्यर्थी का आवेदन सभी तरह से पूर्ण है

(दो) अभ्यर्थी द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान किया जा चुका हो।

(तीन) उपस्थिति सामान्यतः 75% से अधिक हो।

11.25 जहां प्रायोगिक परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व हुआ हो, अभ्यर्थी को सैद्धांतिक परीक्षा में प्रवेशित नहीं माना जायेगा जब तक कि परीक्षा में उपस्थित होने हेतु प्रवेश पत्र न जारी किया गया हो।

11.26 परीक्षा में उपस्थित हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में जारी प्रवेश पत्र को वापस ली जा सकेगी यदि यह पाया जाता है कि :–

(एक) प्रवेश पत्र भूलवश जारी हुआ था या अभ्यर्थी, परीक्षा में उपस्थित होने का पात्र नहीं था।

(दो) अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई विवरण या जमा की गयी दस्तावेज या आवेदन के साथ नामांकन, संस्थान, महाविद्यालय या विद्यालय में प्रवेश असत्य, फर्जी या अस्पष्ट था।

11.27 परीक्षा नियंत्रक, यदि वह संतुष्ट है कि प्रवेश पत्र गुम या नष्ट हो चुका है, विहित फीस के भुगतान करने पर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्रदान करेगा। ऐसी कार्ड में महत्वपूर्ण स्थान में "डुप्लीकेट" शब्द दर्शित होगा।

11.28 किसी विषय में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में लिखे उत्तरों की पुनः जांच हेतु, कोई अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, अपने अंकों की जांच हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा। ऐसे आवेदन, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशित होने के 15 कार्य दिवस के भीतर विहित प्रारूप में परीक्षा नियंत्रक तक पहुंच जाना चाहिए।

11.29 जांच के परिणामों की संसूचना अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

11.30 आईएसबीएम विश्वविद्यालय के अन्य अध्यादेश में यथा उल्लिखित फीस का भुगतान करने पर भिन्न अनुगामी प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्रदान की जायेगी।

11.31 परंत यह और कि आव्रजन प्रमाणपत्र, डिग्री, डिप्लोमा की डुप्लीकेट प्रति, प्रदाय नहीं किया जायेगा सिवाय इसके जिसमें कुलपति संतुष्ट है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य के स्टाम्प प्रश्न पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मूल दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया है तथा गुम हो गया है या वह विनष्ट हो चुका है तथा आवेदक को वास्तव में डुप्लीकेट प्रति की जरूरत है। डुप्लीकेट प्रति केवल एक बार जारी की जायेगी।

11.32 एटीकेटी परीक्षा के अलावा प्रत्येक अंतिम डिग्री परीक्षा में दस सफल अभ्यर्थियों का नाम जिन्होंने प्रथम श्रेणी पाई है, मेरिट के क्रम में घोषित किया जायेगा।

11.33 (एक) संबंधित परीक्षा अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, नियमित अभ्यर्थी के रूप मे सेमेस्टरांत परीक्षा में समस्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, प्रायोगिक, साक्षात्कार, आंतरिक मूल्यांकन, क्षेत्र कार्य परियोजना में जो उपस्थित हुये हो और किसी स्नातक परीक्षा में तीन से कम विषयों में कुल पांच अंकों से कम से अनुत्तीर्ण हुए हो, परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु उसे पांच अंकों तक कृपोत्तीर्ण दिया जा सकेगा। इन अंकों की गणना कुल संख्या के रूप में नहीं की जायेगी। कृपोत्तीर्ण को अभ्यर्थी के अधिकार के मामले की तरह स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा यह कुलपति का परमाधिकार है। यह संकाय उन अभ्यर्थियों जो उस विशिष्ठ सेमेस्टर/वर्षांन्त परीक्षा (अर्थात् प्रथम प्रयास में सभी सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं सत्रीय में) में 5 कृपोत्तीर्ण अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण करता है के लिये उपलब्ध होगा ।

(दो) इसी तरह यदि अभ्यर्थी 1 अंक से अपना प्रथम या द्वितीय श्रेणी आने से वंचित रहता है तो वह अपने श्रेणी सुधार के लिये 1 अंक का कृपोत्तीर्ण दिया जायेगा।

(तीन) सैद्धांतिक प्रश्न पत्र से भिन्न में एवं एटीकेटी/पूरक विद्यार्थियों को कृपोत्तीर्ण अंक नहीं दिया जायेगा ।

11.34 प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षक मण्डल द्वारा सेमेस्टरांत में प्रायोगिक परीक्षा, आयोजित की जायेगी। मण्डल, एक या अधिक से मिलकर बनेगी। ऐसे मामले में एक परीक्षक को मुख्य परीक्षक के रूप में पदाचिन्हित की जा सकेगी। मुख्य परीक्षक परीक्षा के संचालन हेतु मार्गदर्शन देगा और मूल्यांकन में एकरूपता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मण्डलों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

11.35 किसी अन्य प्रकार की परीक्षा हेतु उपरोक्त लागू नहीं होगा। परीक्षा संचालित करने की रीति परीक्षा की पाठ्यचर्या/योजना में विशेष रूप से उपबंधित अनुसार होगा तथा ऐसे उपबंधों की अनुपस्थिति में, संबंधित अध्ययन मण्डल/समन्वय समिति की अनुशंसा पर, कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

11.36 सेमेस्टर का परिणाम, (सेमेस्टरांत परीक्षा और शिक्षक का नियमित मूल्यांकन दोनों सम्मिलित हैं), परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किया जायेगा।

11.37 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंतर्विष्ट करते हुए, प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, परिणाम घोषित करने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवार्ड सूची जारी की जायेगी।

अध्याय – चार

12. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने, अंकों तथा श्रेणियों के लिए मानदण्ड

12.1 सामान्यतः परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये पूर्व–स्नातक विद्यार्थियों के लिये सेमेस्टरांत/अवधि अंत/वर्षांत परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उत्तीर्ण करने के मापदण्ड के लिये विशिष्ट कार्यक्रम के अध्यादेश से संदर्भित होगा। अभ्यर्थी जो सेमेस्टर/वर्ष में प्रश्न पत्र में कुल 35% से कम अंक अर्जित करता है उसे उस विषय में असफल समझा जायेगा। सामान्यतः प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं सभी प्रश्न पत्रों में कुल 45% प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु आवश्यक होगा। प्रश्न पत्रों में 40% से कम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को उस विषय में असफल समझा जायेगा तथा कुल 45% से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को उस परीक्षा में असफल समझा जोयगा । उत्तीर्ण करने के मापदण्ड के लिये विशिष्ट कार्यक्रम के अध्यादेश से संदर्भित होगा।

12.2 विद्यार्थी, परिणाम घोषित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, विहित फीस का भुगतान करने पर विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के परीक्षा लेख की पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकेगा। पुनर्गणना से अभिप्रेत, यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्नों और उनके हिस्से प्रश्न पत्र के अनुसार सम्यक रूप से अंक दिये गये हैं और अंकों का कुल योग सही है। भिन्नता पाये जाने की स्थिति दोनों में, समुचित परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टरांत परीक्षा की अंकसूची में परिशोधन किया जायेगा।

12.3 अभ्यर्थी को स्नातक पूर्ण करने हेतु, डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान एक बार पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। पर्यावरण अध्ययन के अंक, किसी भी स्थिति में श्रेणी को प्रभावित नहीं करेंगे।

12.4 यूजीसी एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों के मानदण्ड अनुसार, यदि कोई हो, इस संबंध में, समस्त सुसंगत पाठ्यक्रमों में क्रेडिट स्थानांतरण लागू होंगे।

13 (क) परिणामों की घोषणा

परीक्षा समिति परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी होगी। इस संबंध में परीक्षा समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे : विश्वद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम की समीक्षा एवं घोषणा, उसके स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् कि सभी एवं विभिन्न विषयों का परिणाम प्रचलित मानदण्ड के अनुरूप है और किसी प्रकरण में जहां परिणाम असंतुलित है में की जाने वाली कार्यवाही के लिये कुलपति को अनुशंसा करेगी।

प्रश्न पत्रों के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करेगी। अभ्यर्थी जिसका उत्तर पुस्तिका परिवहन में गुम गई है के मामले का निपटारा करेगी। विद्या परिषद द्वारा समय–समय पर यथा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

(एक) अभ्यर्थी, जिसका परिणाम घोषित किया जा चुका है, विहित प्ररूप में 15 दिवस तथा विलंब फीस 500 रू. के साथ 30 दिवस या उसके परिणाम की घोषणा के समय से परीक्षा समिति द्वारा यथा निर्धारित के भीतर किसी उत्तर पुस्तिका के पुर्नमुल्यांकन या अंकों या परिणामों की पुर्नजांच हेतु, परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा।

परंतु यह कि पुर्नमुल्यांकन की दशा में अभ्यर्थी को दो प्रश्न पत्र से अधिक का पुर्नमुल्यांकन करवाने की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह और भी कि परीक्षा में प्रश्न पत्र के स्थान पर जमा किये गये प्रायोगिक लेख, क्षेत्र कार्य, सेशनल कार्य, परीक्षण, थीसिस एवं परियोजना कार्य के मामले में पुर्नमुल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।

(दो) अभ्यर्थी को अपने उत्तर लेख का पुर्नमुल्यांकन कराने हेतु आवेदन करने पर विहित फीस जमा करना होगा जिसे परीक्षा समिति समय–समय पर निर्धारित करेगी।

टीप :– यदि किसी परीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या जांचकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही हो तो मामले को परीक्षा समिति की अनुशंसा के साथ विद्या परिषद को सौंपा जायेगा।

14. अनुचित साधनों का प्रयोग एवं दुर्व्यवहार :

14.1 कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा से संबंधित किसी पुस्तक, प्रश्न पत्र, नोट्स, इलेक्ट्रानिक सामग्री या अन्य सामग्री अपने साथ नहीं लायेगा न ही वह विनिर्दिष्ट अनुमति को छोड़कर परीक्षा कक्ष में किसी जानकारी को किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति से कहेगा या न ही स्वीकार करेगा।

14.2 कोई अभ्यर्थी स्याही सोखने वाली प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्र पर या किसी अन्य वस्तु/सामग्री पर उसे दिये गये उत्तर पुस्तिका को छोड़कर कुछ भी टीप या लेख नहीं करेगा।

14.3 कोई अभ्यर्थी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति को न तो सहयोग देगा या नहीं सहयोग लेगा अथवा परीक्षा से संबंधित गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

14.4 किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के संबंध नकल करते या कोई गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो परीक्षा अधीक्षक या जांचकर्ता या विश्वविद्यालय के कर्मचारी के माध्यम से, जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को संसूचित करेगा। परीक्षा नियंत्रक उपरोक्त मामले को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रख सकेगा। संतुष्ट होने पर कि आरोप के तथ्य सही है अभ्यर्थी पर पूर्व चिन्तन किया जायेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जायेगा तथा किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने के तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए रोक दिया जोयगा।

14.5 किसी अभ्यर्थी जो परीक्षा अधीक्षक की राय में परीक्षा कक्ष में किये दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाया गया है इस अध्यादेश के उपरोक्त उप–पैरा 14.1 से 14.4 को छोड़कर, परीक्षा अधीक्षक द्वारा उसी प्रश्न पत्र से निष्काषित कर सकेगा। तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। उक्त समिति यदि संतुष्ट है कि लगाये गये आरोप के तथ्य सही है एक वर्ष के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उसे अयोग्य ठहरा सकेगा।

14.6 कोई परीक्षार्थी, परीक्षक या परीक्षा से संबंधित कर्मचारी को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो अपराध माना जायेगा। ऐसे मामलों को परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। परीक्षा समिति, यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही है, अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अयोग्य करार दे सकेगा तथा उसे एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए किसी परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकेगा।

14.7 कोई अभ्यर्थी, किसी परीक्षा अधीक्षक या जांचकर्ता या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को परीक्षा आयोजित करने के उसके कर्तव्यों के संबंध में बल प्रयोग करते हुए साधनों या प्रताड़ित या दबावपूर्वक या उपयोग करते हुए या धमकी देते हुए उसे हटाने का दोषी पाया जाता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा और गंभीर दुर्व्यवहार में लिप्त माना जायेगा। ऐसे मामलों को, परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से संबंधित अधिकारी द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। परीक्षा समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही है, अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य

करार दिया जायेगा और/या विश्वविद्यालय से निकाल दिया जायेगा। तथा विश्वविद्यालय के भविष्य की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए उसे सही एवं उपयुक्त व्यक्ति नहीं होना घोषित किया जायेगा।

14.8 कोई अभ्यर्थी जिसे उपरोक्त उप–पैरा 14.5 से 14.7 के अधीन दण्डित किया जा चुका हो, नियमित विद्यार्थी के रूप में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को केवल अगले वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी, जिसमें दण्डावधि के अवसान होने के पश्चात् भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में वह उपस्थित होने का हकदार रहा/रही हो।

14.9 यदि कोई विद्यार्थी केन्द्र में अधीक्षक या किसी जांचकर्ता के सामने हिंसक तरीके या बल प्रयोग या बल का प्रदर्शन करता है या व्यक्ति सुरक्षा को संकट के दायरे में ला देता है या इस तरीके से दोनों ही करता है, उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन में प्राधिकारियों को रोकता है, तो अधीक्षक अभ्यर्थी को निष्काषित कर सकेगा और पुलिस की सहायता ले सकेगा।

14.10 यदि कोई परीक्षा केन्द्र की परिसीमा के भीतर कोई घातक हथियार लेकर आता है तो उसे केन्द्र से निष्काषित किया जा सकेगा और/या अधीक्षक द्वारा पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

14.11 उपरोक्त 14.8, 14.9 एवं 14.10 में उल्लिखित किसी आधार पर निष्काषित किये गये अभ्यर्थी को बाद के प्रश्न पत्र में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

14.12 प्रत्येक मामले में जहां उपरोक्त 14.10, 14.12, 14.14 के अधीन अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई है की विस्तृत प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा तथा कार्य परिषद् अपराध की मात्रा के अनुसार उसे और दण्डित कर सकेगा। अभ्यर्थी को कारण दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद अभ्यर्थी के परीक्षा को रद्द करते हुए और/या एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक सकेगा।

14.13 कोई व्यक्ति, जो वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है कि स्थिति में, वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया जाता है, उपधारणा की जायेगी कि यह प्रतिरूपण घटना कारित किया है और वास्तविक अभ्यर्थी के साथ दुरभि सन्धि किया है तथा ऐसे व्यक्ति एवं ऐसे वास्तविक अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही नीचे दिये गये अनुसार की जायेगी:

(एक) वास्तविक अभ्यर्थी जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दिया है भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम करने से रोक दिया जायेगा तथा उसे समुचित् कार्यवाही हेतु पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

(दो) व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा को देने से रोका जायेगा तथा समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं है, समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।

14.14 कोई अभ्यर्थी अंकों के श्रेणी प्रतिशत में सुधार हेतु परीक्षा में उपस्थित हो रहा है और अनुचित साधनों के उपयोग करते पकड़ा जाता है उसके श्रेणी/अंकों के प्रतिशत में सुधार हेतु जब फिर से उपस्थित होते समय उसके प्रश्न पत्र के परीक्षा परिणाम जिसमें वह उपस्थित हुआ है रद्द भी किया जायेगा इसके अतिरिक्त अनुचित साधनों के प्रयोग हेतु उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

14.15 दोषी विद्यार्थी पर पृथक से कोई सजा, उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव पर सम्यक विचार करने के पश्चात् दिया जायेगा।

14.16 परीक्षा अधीक्षक, परीक्षार्थी के विरूद्ध जिसने परीक्षा हॉल या परीक्षा केन्द्र की परिसीमा के भीतर परीक्षा के घंटों के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास किया है, निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

(एक) परीक्षार्थी को उसके कब्जे में प्राप्त समस्त आपत्तिजनक सामग्री जिसमें उत्तर पुस्तिका भी सम्मिलित है के साथ समर्पण करने बुलाया जायेगा और तारीख और समय के साथ मेमोरेन्डम तैयार की जायेगी।

(दो) परीक्षार्थी और जांचकर्ता के बयान को अभिलिखित किया जायेगा।

(तीन) परीक्षार्थी को 'अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए डुप्लीकेट' मार्क किया हुआ उत्तर पुस्तिका जारी की जायेगी, परीक्षा हेतु विहित शेष समय के भीतर उत्तर देने का प्रयास करेगा।

(चार) संग्रहित किये गये सभी सामग्री और समस्त साक्ष्यों के साथ परीक्षार्थी के बयान और उत्तर पुस्तिका को सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कर, अधीक्षक के अवलोकन के साथ पैकेट में अनुचित साधन चिन्हित कर पंजीकृत पृथक गोपनीय मुहर लगाकर नाम से, कुलसचिव को, अग्रेषित किया जायेगा।

(पांच) परीक्षार्थी से एकत्र की गई सामग्री के साथ–साथ दोनों उत्तर पुस्तिकाओं अर्थात अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर एकत्र की गई उत्तर पुस्तिका और उसके बाद दी गई अन्य पुस्तिका को, कुलसचिव द्वारा परीक्षक को पृथक से दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु भेजी जायेगी एवं एकत्र की गई सामग्री को देखते हुए यदि परीक्षार्थी ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है का प्रतिवेदन देगा।

(छः) परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों को, परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ केन्द्र अधीक्षक द्वारा यथा संसूचित किया जायेगा और परीक्षा समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। समिति, मामलों के परीक्षण पश्चात् समक्ष प्राधिकारी के माध्यम से प्रबंध मण्डल को अवगत करायेगा तथा प्रत्येक मामले में कार्यवाही करने का निर्णय लेगा।

(सात) कोई अभ्यर्थी परीक्षा घंटों के दौरान बातचीत करते हुए पाये जाने पर, ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी जायेगी। यदि जांचकर्ता द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद अभ्यर्थी निरंतर ऐसा करता है तो ऐसे परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका रख ली जायेगी और द्वितीय उत्तर पुस्तिका दी जायेगी।

14.17 यदि अभ्यर्थी, परीक्षा में अनुचित साधन का करने का या उपयोग करने के प्रयास का दोषी पाया गया है जैसे उसी पुस्तिका या नोट्स से नकल करना या किसी अन्य अभ्यर्थी के उत्तर पुस्तिका से नकल करना या किसी अन्य अभ्यर्थी के मदद लेना या मदद प्राप्त करना या परीक्षा से संबंधित सामग्री को परीक्षा कक्ष में रखना या कोई अन्य कार्य चाहे जो भी हो वहां परीक्षा समिति या परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त समिति, परीक्षा को रद्द कर सकेगा तथा विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये, अपराध की प्रकृति के अनुसार एक या अधिक वर्ष के लिये उसे विवर्जित कर सकेगा।

14.18 परीक्षा समिति, अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द और/या उसे विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने से एक या अधिक वर्ष के लिए विवर्जित कर सकेगा। यदि उसके बाद के अन्वेषण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने अपने परीक्षा के संबंध में किसी रीति से दुर्व्यवहार और/या उपकरणों में छेड़छाड़ का दोषी था और/या विश्वविद्यालय के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने जिसमें उत्तर पुस्तिका, अंकसूची, नियमावली, डिप्लोमा और इसी तरह अन्य भी सम्मिलित है, दुष्प्रेरण किया था।

14.19 परीक्षा समिति, अभ्यर्थी के परीक्षा को रद्द तथा विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने से उसे एक या दो वर्ष के लिए विवर्जित कर सकेगा यदि उसके बाद के अन्वेषण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने तथ्यों की गलत प्रस्तुति द्वारा या फर्जी प्रमाणपत्र/दस्तावेजों से प्रवेश प्राप्त किया गया था।

14.20 परीक्षा के समस्त दस्तावेज और परिणाम, लिखित उत्तर पुस्तिका को छोड़कर संबंधित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा रखा जायेगा।

15. विद्यार्थी शिकायत समिति

विद्यार्थियों से लिखित में अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त होने की दशा में, सात दिन के भीतर प्रश्न पत्र आदि को स्थिर करने के संबंध में परीक्षा पूर्ण करने के पश्चात् संकाय के संस्था प्रमुख/संस्थान के निदेशक के विनिर्दिष्ट अनुशंसाओं के साथ, इसे कुलपति द्वारा गठित विद्यार्थी शिकायत समिति द्वारा विचार किया जायेगा। कुलपति, परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने के पूर्व विद्यार्थी शिकायत समिति की अनुशंसा पर, समुचित निर्णय लेगा।

अध्याय–पांच

16. परीक्षकों की नियुक्ति

16.1 संबंधित अधिष्ठाता, अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष एवं कुलपति द्वारा नामांकित एक संकाय सदस्य को मिलाकर एक समिति होगी जो विभिन्न प्रश्न पत्रों, प्रायोगिक मौखिकी, शोध निबंध आदि के लिये परीक्षकों का पेनल तैयार करेंगे। परीक्षा नियंत्रक विभिन्न परीक्षाओं के लिये परीक्षकों की अंतिम नियुक्ति के लिये कुलपति को परीक्षकों का पेनल भेजेगा।

16.2 परीक्षा समिति द्वारा सामान्यतः अनुशंसित व्यक्तियों के बीच से प्रश्नपत्र सेटर, सह–परीक्षक, प्रायोगिक/मौखिक परीक्षक की नियुक्ति करेगी तथापि वह व्यक्ति जिसका नाम परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में सम्मिलित नही है को नियुक्त कर सकेगा यदि वह संतुष्ट हो कि व्यक्ति न्यूनतम अर्हता रखता है तथा उसकी नियुक्ति से निम्नलिखित पैरा के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

16.3 प्रश्नपत्र सेटर एवं सह–परीक्षक की अर्हता निम्नानुसार होगी, अर्थात् :–

(क) प्रश्नपत्र सेटर :

परीक्षा	अर्हता
(एक) विधि से भिन्न सभी संकायों में स्नातकोत्तर परीक्षा	(एक) स्नातकोत्तर स्तर में संबंधित विषय में शिक्षण का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर स्तर हेतु विषय में शिक्षण का कम से कम दो वर्ष का अनुभव और कुल शिक्षण अनुभव सात वर्ष से कम नहीं होना चाहिये जिसमें स्नातक स्तर के अधीन शिक्षण अनुभव सम्मिलित हो सकेगा ।
(दो) एलएलएम	(दो) विधि में स्नातकोत्तर डिग्री या उच्च डिग्री और एलएलएम में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में अनुभव या बार में कम से कम दस वर्ष का प्रास्थिति
(तीन) इंजीनियरिंग प्राद्योगिकी, विधि से भिन्न सभी प्राद्योगिकी, विधि संकाय में डिग्री परीक्षा	(तीन) पूर्व स्नातक और/या स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण
(चार) इंजीनियरिंग एवं प्राद्योगिकी संकाय में डिग्री परीक्षा	(चार) पूर्व स्नातक/ स्नातकोत्तर में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव/व्यवसायिक अनुभव या पांच वर्ष का व्यवसायिक अनुभव
(पांच) विधि को छोड़कर डिग्री परीक्षा	(पांच) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव
(छः) एलएलबी	(छः) एलएलबी और/या एलएलएम कक्षाओं का कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव या जिला न्यायाधीश के रुप में न्यायिक अनुभव या बार में कम से कम दस वर्ष तक स्टैंडिग के रूप में कार्य किया हो
(सात) कारोबार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	(नौ) संबंधित विषय में डिग्री स्तर या स्नातकोत्तर कक्षाओं में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव
(आठ) फार्मेसी में डिग्री	(दस) फार्मेसी में कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव

16.8 सह–परीक्षक

अर्हता वही होगी जो प्रश्नपत्र सेटर के लिये है किन्तु अपेक्षित न्यूनतम शिक्षण/व्यवसायिक अनुभव, प्रश्नपत्र सेटर के मामलें में विहित से भिन्न दो वर्ष कम किया जा सकेगा ।

परन्तु यह कि डिग्री परीक्षा जहां आंतरिक सह–परीक्षक की पर्याप्त संख्या संबंधित विषय में पूर्वोक्त अर्हता के साथ उपलब्ध न हो, की दशा में विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों, विभागों एवं संस्थानों के शिक्षक, संबंधित विषय में डिग्री/स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ, सह–परीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे ।

16.9 एक. स्नातकोत्तर स्तर में प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, बाह्य परीक्षक ऐसा व्यक्ति होगाजो एसोशिएट प्रोफेसर की श्रेणी से निम्न का न हो।

दो. डिग्री स्तर में प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, बाह्य परीक्षक संबंधित विषय का शिक्षक होगा जिसके पास डिग्री और/या स्नातकोत्तर स्तर में संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।

तीन. स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा दोनों स्तर में प्रायोगिक परीक्षा की दशा में, आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच से की जायेगी

चार. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा की दशा में बाह्य परीक्षक, सामान्यत : विश्वविद्यालय के विभाग के शिक्षक नही होंगे।

17. सामान्यतः स्नातकोत्तर एवं प्रथम डिग्री परीक्षा में 50% प्रश्नपत्र सेटर, बाह्य होंगे।

18. यदि किसी प्रश्नपत्र के लिये एक से अधिक परीक्षक नियुक्त किये गये हो तो प्रश्नपत्र सेटर मुख्य परीक्षक होगा। प्रश्न पत्र सेटर से भिन्न परीक्षक सह–परीक्षक होंगे।

19. प्रश्न पत्र सेटर एवं सह–परीक्षक के रुप में नियुक्ति हेतु, सामान्यतः विश्वविद्यालय के विभाग के शिक्षक पर ऐसी नियुक्ति के लिये अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुये वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जायेगा।

20. बाह्य परीक्षकां की संख्या ऐसी होगी, जैसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार होगी।

21. पूर्व स्नातक प्रायोगिक परीक्षा की दशा में, एक बाह्य परीक्षक सामान्यतः 120 अभ्यर्थियों से अधिक की संवीक्षा करेगा।

22. लिखित परीक्षा की दशा में, परीक्षक सामान्यतः 240 लेख से अधिक का मूल्यांकन नही करेगा एवं सह–परीक्षक नियुक्त किया जायेगा । यदि प्रश्नपत्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 300 से अधिक है ।

23. पाठ्यक्रम, जहां अंग्रेजी विषय, परीक्षा का एकमात्र माध्यम नही है, में परीक्षक के नामों की अनुशंसा करते समय, परीक्षा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अनुशंसित परीक्षक, हिन्दी में लिखित लेख का मूल्यांकन कर सकेंगे।

24. उपरोक्त उप–पैरा (2) के प्रावधान इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फार्मेसी आदि संकायों में परीक्षा की दशा में लागू नही होंगे ।

25. परीक्षक की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के परीक्षाओं के लिये किया जायेगा किन्तु वे पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे ।

26. कोई व्यक्ति जिसने निरंतर तीन वर्ष के लिये परीक्षक, प्रश्न पत्र सेटर, सह–परीक्षक या बाह्य मौखिक परीक्षक के रुप में कार्य किया हो सामान्यतः पुनर्नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नही होगा जब तक कि वर्ष जिसमें वह परीक्षक के रुप में अंतिम रुप से कार्य किया हो एवं वर्ष जिसमें वह पुनर्नियुक्त किया गया हो के बीच, एक वर्ष की अवधि व्यतीत न हुआ हो।

परन्तु यह कि ऐसा अंतराल आंतरिक परीक्षा की दशा में आवश्यक नही होगी यदि संबंधित विषय में उपलब्ध पात्र परीक्षक की संख्या, अपेक्षित आंतरिक परीक्षकों की संख्या से कम हो।

परन्तु यह भी कि परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विशेषज्ञ, अंतराल के बिना तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् दो और वर्ष के लिये निरंतर बने रह सकेंगे।

27. किसी भी परीक्षक को तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय रोका जा सकता है यदि परीक्षा समिति की राय में उसका कार्य असंतुष्टिपूर्ण पाया जाता हो।

28. परीक्षकों का कार्य असंतुष्टिपूर्ण समझा जायेगा, यदि–

(एक) वह, ऐसी प्रकृति की त्रुटि, जो जांच एवं छानबीन के कम में उसके कार्य में पाया गया हो जिससे परिणाम प्रभावित होता हो, या

(दो) वह, बिना किसी सही कारण के कार्य में विलंब करते हुये, परीक्षा समिति द्वारा पाया गया हो, या

(तीन) मुख्य परीक्षकसे विपरीत प्रतिवेदन हो, या

(चार) परीक्षा समिति की राय में उसकी प्रमाणिकता या संदिग्धता के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह हो कि वह परीक्षार्थी या उसके नातेदारी के पहुंच में है, और

(पांच) यदि उसके प्रश्नपत्र के विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति की शिकायत करता हो उदाहरण के लिये, यह प्रश्न पत्र, विहित मानक से बहुत अधिक या बहुत निम्न है या विहित पाठ्यक्रम या शाखा के बाहर का प्रश्न अंतर्विष्ट है या परीक्षा समिति द्वारा विहित किसी शर्त के बाहर से प्रश्न पत्र है।

29. प्रश्न पत्र सेटर, सह–परीक्षक के मार्गदर्शन के लिये निर्देशिका ज्ञापन अधिकथित करेगा ताकि पत्रों को, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में औपचारिक मानक के अनुरुप किया जा सके।

30. यदि किसी कारण से परीक्षक, प्रश्न पत्र सेट करने के पश्चात् मुख्य परीक्षकके कर्तव्यों का निर्वहन करने या उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में असमर्थ है तो वह प्रश्न पत्र सेट करने हेतु फीस की राशि के केवल आधी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा और शेष राशि ऐसे परीक्षक को देय होगी जो तत्पश्चात् मुख्य परीक्षककी कर्तव्यों का निर्वहन करता हो।

परन्तु यदि प्रश्न पत्र सेटर की मृत्यु, उत्तर पुस्तिका को लेने या मूल्यांकन पूर्ण करने के पूर्व हो जाती है तो प्रश्न पत्र सेट करने के लिये विहित संपूर्ण फीस उसके उत्तराधिकारियों को दी जायेगी।

31. किसी विषय में यदि मौखिक परीक्षा दो परीक्षकों की समिति विहित करती है जिसमें से एक बाह्य परीक्षक होगा एवं अन्य आंतरिक परीक्षक होगा, उन परीक्षाओं का आयोजन करेंगे।

32. परीक्षा जैसे एमबीए, एमकॉम, एमफिल, एमए इत्यादि की दशा में जहां थीसिस प्रश्न पत्र या परियोजना कार्य के बदले में अनुज्ञेय है वहां थीसिस के मूल्यांकन के लिये दो परीक्षकों की समिति होगी। थीसिस के लिये अंको की अधिकतम संख्या, दो परीक्षकों के बीच बराबर विभाजित की जायेगी जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र रुप से थीसिस को अंक देंगे। यदि इन दो परीक्षकों का मूल्यांकन 20 प्रतिशत से भिन्न हो तो थीसिस को तीसरे परीक्षक (विश्वविद्यालय के शिक्षक से भिन्न) को निर्दिष्ट की जायेगी, जो थीसिस के लिये अधिकतम अंकों के आधे अंक में से अंक देंगे। दिये गये दो (तीन) का कुल योग, एक दूसरे के निकटस्थ तथा अभ्यर्थी के सर्वोत्तम लाभ के लिये, सही मूल्यांकन के रुप में लिया जायेगा।

33. कोई भी व्यक्ति या तो सैद्धांतिक, मौखिक या प्रायोगिक परीक्षा में प्रश्न पत्र सेटर या परीक्षक के रुप में कार्य नही करेगा यदि उसका कोई भी नातेदार परीक्षा दे रहा हो। परंतु यह प्रावधान, उस केन्द्र, जिसमें उसका नातेदार उपस्थित हो रहा हो, से भिन्न केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा के लिये परीक्षक के रुप में कार्य करने से विवर्जित नही करेगी।

34. कोई भी व्यक्ति, किसी परीक्षा के लिये मॉडरेटर या टेब्यूलेटर के रुप में कार्य नही करेगा यदि उसका कोई नातेदार उसी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो या उपस्थित हुआ हो।

35. इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट प्रावधानों के होते हुये भी, विद्या परिषद् एवं परीक्षा समिति के परामर्श से कुलपति, जहां तक हो सके, विशिष्ट परीक्षा की, कमियों को पूरा करने के लिये सभी या कतिपय नियमों में उपांतरण कर सकेगा।

अध्यादेश–3
कला में स्नातकोत्तर (एम.ए)

3.1 शीर्षक :	कला में स्नातकोत्तर
3.2 संकाय :	कला, मानविकी एवं समाज विज्ञान
3.3 अवधि :	दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)
3.4 पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
3.5 सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
3.6 प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
3.7 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
3.8 चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जा सकेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है: 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
3.9 फीस :	पाठ्यक्रम फीस, प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
3.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा।
3.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	पाठ्यक्रम संरचना एवं विषय संरचना परिनियम कमांक 14 के कालम नं. 2 में कला विज्ञान एवं समाजिक विज्ञान में उल्लेखित विषयों के अध्ययन मंडल के द्वारा तैयार किया जायेगा। विद्यार्थी विश्वविद्यालय में उपलब्ध विषय में से किन्ही एक विषय का चयन विद्यार्थी कर सकते है। 1. अंग्रेजी 2. हिन्दी 3. मराठी 4. दर्शनशास्त्र 5. इतिहास और पुरातत्व 6. राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन 7. अर्थशास्त्र 8. समाजशास्त्र 9. संस्कृत 10. भूगोल 11. मनोविज्ञान 12. रक्षा अध्ययन 13. गृह विज्ञान 14. छत्तीसगढ़ी भाषा
3.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
3.13 एटीकेटी के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
3.14 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–4

कला में स्नातक (बी.ए.)

4.1	शीर्षक :	कला में स्नातक
4.2	संकाय :	कला, मानविकी एवं समाज विज्ञान
4.3	अवधि :	तीन वर्ष या छः सेमेस्टर
4.4	पात्रता :	10+2 किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से किसी भी संकाय में
4.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
4.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
4.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
4.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
4.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
4.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
4.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	आधार पाठ्यक्रम 1. पर्यावरण अध्ययन 2. अंग्रेजी भाषा 3. हिन्दी भाषा विश्वविद्यालय के परिनियम कमांक 14 में उललेखित विषयों में से तथा विश्वविद्यालय में उपलब्ध विषय में से किन्ही तीन विषय का चयन विद्यार्थी कर सकते है। 1. अंग्रेजी 2. हिन्दी 3. मराठी 4. दर्शनशास्त्र 5. इतिहास और पुरातत्व 6. राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन 7. अर्थशास्त्र 8. समाजशास्त्र 9. संस्कृत 10. भूगोल 11. मनोविज्ञान 12. रक्षा अध्ययन 13. गृह विज्ञान 14. छत्तीसगढ़ी भाषा
4.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
4.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
4.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–5
सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.)

5.1 शीर्षक : समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.)

5.2 संकाय : कला, मानविकी एवं समाज विज्ञान

5.3 अवधि : दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)

5.4 पात्रता : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

5.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

5.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

5.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

5.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

5.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

5.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जाय अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

5.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मण्डल द्वारा निर्धारित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित ।

5.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

5.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

5.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–6
सामाजिक कार्य में स्नातक (बी.एस.डब्ल्यू.)

6.1	शीर्षक :	सामाजिक कार्य में स्नातक
6.2	संकाय :	कला, मानविकी एवं समाज विज्ञान
6.3	अवधि :	तीन वर्ष या छः सेमेस्टर
6.4	पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2
6.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
6.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
6.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
6.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है: 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
6.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
6.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
6.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
6.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
6.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
6.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश—7
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम. लिब. आई. एससी.)

7.1 शीर्षक : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.लिब.आई.एससी.)

7.2 संकाय : पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

7.3 अवधि : एक वर्ष (या दो सेमेस्टर)

7.4 पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक

7.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

7.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

7.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

7.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

7.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय—समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

7.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय सेमेस्टर के पश्चात दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

7.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजनाः अध्ययन मण्डल द्वांरा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

7.12 मूल्यांकन एवं परीक्षाः विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

7.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्डः विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

7.14 सामान्यः पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय—वस्तु समय—समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश—8
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी. लिब. आई. एससी)

8.1	शीर्षक :	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी. लिब. आई. एससी)
8.2	संकाय :	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
8.3	अवधि :	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
8.4	पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
8.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
8.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
8.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
8.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस मण्डल पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस मण्डल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है: 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
8.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय—समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
8.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय सेमेस्टर के पश्चात दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
8.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
8.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
8.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
8.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय—वस्तु समय—समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश—9
वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम. काम.)

9.1 शीर्षक :	वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम. काम.)
9.2 संकाय :	व्यावसाय प्रबंधन / वाणिज्य / प्रशासन / वित्त
9.3 अवधि :	दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
9.4 पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य से स्नातक
9.5 सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, स्थापित किया जा सकेगा।
9.6 प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
9.7 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
9.8 चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। केन्द्र का भी प्रदर्शन विश्वविद्यालय के चयन सूची में किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है: 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
9.9 फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
9.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
9.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	संबंधित विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा यथा पारित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
9.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
9.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
9.14 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–10
वाणिज्य में स्नातक (बी. काम.)

10.1	शीर्षक :	वाणिज्य में स्नातक (बी. काम.)
10.2	संकाय :	व्यवसाय प्रबंधन / वाणिज्य / प्रशासन / वित्त
10.3	अवधि :	तीन वर्ष (छः सेमेस्टर)
10.4	पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2
10.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, स्थापित किया जा सकेगा।
10.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
10.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
10.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। केन्द्र में भी विश्वविद्यालय के चयन सूची प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है: 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
10.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
10.10	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
10.11	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा।
10.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
10.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
10.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–11
व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.)

11.1 शीर्षक : व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.)

11.2 संकाय : व्यवसाय प्रबंधन / वाणिज्य / प्रशासन / वित्त

11.3 अवधि : दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)

11.4 पात्रता : (एक) किसी / संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

(दो) एमबीए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या विभिन्न ईकइयो द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक

11.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, स्थापित किया जा सकेगा।

11.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

11.7 पार्श्व प्रवेश : विश्वविद्यालय या ए.आई.यू. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से प्रबंधन में स्नातकोत्तर के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा इस पाठ्यक्रम के अधीन अर्जित करता हो तो एमबीए पाठ्यचर्या के समकक्ष विचार किया जायेगा और विद्यार्थी को, उसे पुनः अर्जित करना नहीं होगा।

11.8 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

11.9 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस मण्डल पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस मण्डल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। केन्द्र का भी प्रदर्शन विश्वविद्यालय के चयन सूची में किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

11.10 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

11.11 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

11.12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

11.13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

11.14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

11.15 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–12
व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (बी.बी.ए.)

12.1	शीर्षक :	व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (बी.बी.ए.)
12.2	संकाय :	व्यवसाय प्रबंधन / वाणिज्य / प्रशासन / वित्त
12.3	अवधि :	तीन वर्ष (या छः सेमेस्टर)
12.4	पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10+2 सीटें रिक्त होने की दशा में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत, कुलपति के अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।
12.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, स्थापित किया जा सकेगा।
12.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
12.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
12.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। केन्द्र में भी विश्वविद्यालय के चयन सूची प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
12.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
12.10	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
12.11	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
12.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
12.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
12.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–13
शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.)

13.1	शीर्षक :	शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.)
13.2	संकाय :	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण
13.3	अवधि :	दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)
13.4	पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. न्यूनतम 50% अंकों के साथ
13.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
13.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
13.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
13.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
13.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
13.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चार सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
13.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यकम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
13.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
13.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
13.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश—14
शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)

14.1 शीर्षक :	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)
14.2 संकाय :	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण
14.3 अवधि :	दो वर्ष या चार सेमेस्टर
14.4 पात्रता :	किसी भी संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
14.5 सीट :	बुनियादी इकाई 100 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, संबंधित वैधानिक / विनियामक निकाय के अनुमोदन के पश्चात् प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
14.6 प्रवेश प्रक्रिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
14.7 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
14.8 चयन प्रक्रिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
14.9 फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय—समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
14.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थिग्रों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
14.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय—समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
14.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
14.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
14.14 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय—वस्तु समय—समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–15
शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.)

15.1	शीर्षक :	शिक्षा में डिप्लोमा
15.2	संकाय :	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ
15.3	अवधि :	दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)
15.4	पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी संकाय में
15.5	सीट :	बुनियादी इकाई 100 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
15.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
15.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
15.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
15.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
15.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
15.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालनं किया जायेगा और पाठ्यकम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
15.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
15.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
15.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–16
शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)

16.1 शीर्षक : शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)

16.2 संकाय : शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण

16.3 अवधि : दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)

16.4 पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.पी.एड. न्यूनतम 50% अंकों के साथ

16.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

16.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

16.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

16.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

16.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

16.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

16.11 पाठ्यक्रम संरचना, विशेषज्ञता एवं परीक्षा योजना : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यकम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।

16.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

16.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

16.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–17
शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.)

17.1 शीर्षक : शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.)

17.2 संकाय : शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण

17.3 अवधि : दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)

17.4 पात्रता : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी भी खेल या ऐथलेटिक्स में विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या जिला या राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। (अंतरविश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में यथा सम्मिलित)

17.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, संबंधित वैधानिक / विनियामक निकाय के अनुमोदन के पश्चात् प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

17.6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

17.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

17.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

17.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

17.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक

को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

1117.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यकम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।

17.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

17.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

17.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–18
शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा

18.1	शीर्षक :	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा
18.2	संकाय :	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण
18.3	अवधि :	दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)
18.4	पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी संकाय में
18.5	सीट :	बुनियादी इकाई 100 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
18.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
18.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
18.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

18.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
18.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
18.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यकम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
18.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
18.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
18.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–19
कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण (जे.बी.टी.)

19.1 शीर्षक :	कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण (जे.बी.टी.)
19.2 संकाय :	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण
19.3 अवधि :	दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)
19.4 पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी संकाय में
19.5 सीट :	बुनियादी इकाई 100 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
19.6 प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
19.7 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
19.8 चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
19.9 फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
19.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
19.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
19.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
19.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
19.14 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–20
डिप्लोमा इन अरली चाइल्डहूड एजुकेशन (डी.ई.सी.ई.)

20.1	शीर्षक :	डिप्लोमा इन अरली चाइल्डहूड एजुकेशन
20.2	संकाय :	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण
20.3	अवधि :	दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)
20.4	पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी संकाय में
20.5	सीट :	बुनियादी इकाई 100 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
20.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
20.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
20.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
20.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
20.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
20.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
20.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
20.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
20.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–21
प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा

21.1	शीर्षक :	प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा
21.2	संकाय :	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण
21.3	अवधि :	दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)
21.4	पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी संकाय में
21.5	सीट :	बुनियादी इकाई 100 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
21.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
21.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
21.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

21.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
21.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
21.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यकम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
21.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
21.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
21.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–22
नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण (एन.टी.टी.)

22.1 शीर्षक :	नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण (एन.टी.टी.)
22.2 संकाय :	शिक्षण / शिक्षण प्रशिक्षण
22.3 अवधि :	दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)
22.4 पात्रता :	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी संकाय में
22.5 सीट :	बुनियादी इकाई 100 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
22.6 प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
22.7 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
22.8 चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
22.9 फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
22.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
22.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा और पाठ्यकम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
22.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
22.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
22.14 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–23
विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)

23.1 शीर्षक : विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)

23.2 संकाय : विज्ञान

23.3 अवधि : दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)

23.4 पात्रता : संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में केवल कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।

23.5 सीट : बुनियादी इकाई 40 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल/शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।

23.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

23.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

23.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

23.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

23.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चतुर्थ सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

23.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : पाठ्यकम संरचना एवं विषय संरचना परिनियम कमांक 14 के कालम नं. 2 में कला विज्ञान एवं समाजिक विज्ञान में उल्लेखित विषयों के अध्ययन मंडल के द्वारा तैयार किया जायेगा। विद्यार्थी विश्वविद्यालय में उपलब्ध विषय में से किन्ही एक विषय का चयन विद्यार्थी कर सकते है।

1. भौतिकशास्त्र 2. रसायनशास्त्र 3. गणित 4. वनस्पति विज्ञान 5. जन्तु विज्ञान 6. जैव प्रौद्योगिकीय 7. इलेक्ट्रानिक्स 8. बायो केमेस्ट्री 9. लाईफ साइंस 10. एनथ्रोपोलॉजी 11. माइको बॉयोलॉजी 12. फारिस्ट्री और वाइल्ड लाईफ 13. बायो साइंस 14. जीयोलॉजी 15. कामिनोलॉजी और फारेंसिक साइंस 16. कम्प्यूटर विज्ञान और इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी

23.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

23.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

23.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–24
विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)

24.1 शीर्षक : विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)

24.2 संकाय : विज्ञान

24.3 अवधि : तीन वर्ष (या छः सेमेस्टर)

24.4 पात्रता : संबंधित विषय के साथ किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 जिसमें से एक, कक्षा बारहवीं में न्यूनतम 45% अंकों के साथ मुख्य विषय होना चाहिए। सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में केवल कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।

24.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।

24.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

24.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

24.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

24.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

24.10 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अनिवार्य विषय

1. पर्यावरण अध्ययन
2. हिन्दी भाषा
3. अंग्रेजी भाषा

विश्वविद्यालय के परिनियम कमांक 14 में उललेखित विषयों में से तथा विश्वविद्यालय में उपलब्ध विषय समूह में से किन्ही तीन विषय समूह का चयन विद्यार्थी कर सकते है।

1. भौतिक, रसायन एवं गणित
2. रसायन, वनस्पति शास्त्र एवं जन्तु विज्ञान
3. रसायन, भौतिकी एवं भूगर्भशास्त्र
4. रसायन, वनस्पति शास्त्र एवं भूगर्भशास्त्र
5. रसायन, जन्तु शास्त्र एवं भूगर्भशास्त्र
6. भूगर्भशास्त्र भौतिक एवं गणित
7. रसायन, गणित एवं भूगर्भशास्त्र
8. भौतिक, रसायन एवं सांख्यिकीय
9. रसायन जन्तुशास्त्र एवं एन्थोपोलॉजी

10. रसायन वनस्पति एवं एन्थोपोलॉजी
11. रसायन, भूगर्भशास्त्र एवं एन्थोपोलॉजी
12. रसायन, गणित एवं इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी
13. भौतिकीय, गणित एवं कप्यूटर एप्लीकेशन
14. रसायन, बायो केमेस्ट्री एवं वनस्पतिशास्त्र
15. रसायन, बायो केमेस्ट्री एवं जन्तुशास्त्र
16. रसायन, बायो केमेस्ट्री एवं माइकोबॉयोलॉजी
17. रसायन, जैव प्रौद्योगिकीय एवं वनस्पतिशास्त्र
18. रसायन, जैव प्रौद्योगिकीय एवं जन्तुशास्त्र
19. भौतिक, गणित एवं सांख्यिकीय
20. रसायन, गणित एवं सांख्यिकीय

24.11 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

24.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

24.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

24.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–25
विज्ञान में स्नातक (फैशन डिजाईन एवं टेक्नालॉजी)

25.1	शीर्षक :	विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)
25.2	संकाय :	विज्ञान
25.3	अवधि :	तीन वर्ष (या छः सेमेस्टर)
25.4	पात्रता :	संबंधित विषय के साथ किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 जिसमें से एक, कक्षा बारहवीं में न्यूनतम 45% अंकों के साथ मुख्य विषय होना चाहिए। सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में केवल कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।
25.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।
25.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
25.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
25.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
25.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
25.10	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अनिवार्य विषय 1. पर्यावरण अध्ययन 2. हिन्दी भाषा 3. अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम प्रारंभ करते समय विभिन्न विषय विशेषज्ञो द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना को अकादमिक परिषद से अनुमोदन के पश्चात् तैयार कर लागू किया जायेगा।
25.11	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
25.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
25.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
25.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–26
विज्ञान में स्नातक (इनटिरीयर डिजाईन)

26.1 शीर्षक : विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)

26.2 संकाय : विज्ञान

26.3 अवधि : तीन वर्ष (या छः सेमेस्टर)

26.4 पात्रता : संबंधित विषय के साथ किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 जिसमें से एक, कक्षा बारहवीं में न्यूनतम 45% अंकों के साथ मुख्य विषय होना चाहिए। सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में केवल कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।

26.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।

26.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

26.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

26.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

26.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

26.10 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अनिवार्य विषय

1. पर्यावरण अध्ययन
2. हिन्दी भाषा
3. अंग्रेजी भाषा

पाठ्यक्रम प्रारंभ करते समय विभिन्न विषय विशेषज्ञो द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना को अकादमिक परिषद से अनुमोदन के पश्चात् तैयार कर लागू किया जायेगा।

26.11 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

26.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

26.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

26.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–27
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)

27.1 शीर्षक : कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)

27.2 संकाय : विज्ञान

27.3 अवधि : तीन वर्ष (या छः सेमेस्टर)

27.4 पात्रता : एक. कम्प्यूटर एप्लीकेशन/बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस/बी.एस.सी. गणित 45: अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में केवल कुलपति की अनुमति से 5: कम किया जा सकेगा।

अथवा

किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ कक्षा बारहवीं की परीक्षा में गणित एक मुख्य विषय के रूप में हो।

दो. विद्यार्थी को एम.सी.ए. द्वितीय वर्ष या तृतीय सेमेस्टर में पार्श्व प्रवेश, दिया जायेगा, जो पी.जी.डी.सी.ए. (स्नातक के बाद) की अर्हता या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. 'ए' स्तर परीक्षा या समतुल्य माने गये कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।

तीन. यदि सीटें भरी नहीं जाती है तो न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में दोनों संवर्गों से अभ्यर्थियों के लिये 5: कम किया जा सकेगा।

27.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।

27.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

27.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

27.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

27.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

27.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

27.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

27.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

27.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

27.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–28
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)

28.1 शीर्षक :	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)
28.2 संकाय :	विज्ञान
28.3 अवधि :	तीन वर्ष (या छः सेमेस्टर)
28.4 पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 जिसमें से गणित, कक्षा बारहवी में एक मुख्य विषय के रूप में रहा हो। यदि अभ्यर्थी का, गणित, कक्षा बारहवी में एक मुख्य विषय के रूप में न रहा हो तो तीन प्रयास में छः सेमेस्टर के दौरान गणित का विशेष प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करना होगा, ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, अभ्यर्थी, बीसीए की डिग्री प्राप्त करने हेतु पात्र नही होगा।
28.5 पार्श्व प्रवेश :	बीसीए द्वितीय वर्ष या तीसरे सेमेस्टर में पार्श्व प्रवेश, ऐसे विद्यार्थी को दिया जायेगा जो डीसीए (10+2 के बाद) या डीओईएससी"ओ" लेवल परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा समतुल्य घोषित किसी अन्य परीक्षा की अर्हता रखता हो।
28.6 सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।
28.7 प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
28.8 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
28.9 चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
28.10 फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
28.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
28.12 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
28.13 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
28.14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
28.15 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–29
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीए)

29.1 शीर्षक :	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
29.2 संकाय :	विज्ञान
29.3 अवधि :	एक वर्ष (या दो सेमेस्टर)
29.4 पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
29.5 सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।
29.6 प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार
29.7 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
29.8 चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
29.9 फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
29.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दो सेमेस्टर के पश्चात दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
29.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
29.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
29.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
29.14 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–30
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एडवांस डिप्लोमा (एडीसीए)

30.1 शीर्षक : कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एडवांस डिप्लोमा

30.2 संकाय : विज्ञान

30.3 अवधि : दो वर्ष (या चार सेमेस्टर)

30.4 पात्रता :
1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी संकाय में
2. डी.सी.ए. उत्तीर्ण या उसके समकक्ष विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी।

30.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।

30.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

30.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

30.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :
1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

30.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

30.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। चार सेमेस्टर के पश्चात चारो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

30.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

30.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

30.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

30.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–31
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा (डीसीए)

31.1 शीर्षक : कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा

31.2 संकाय : विज्ञान

31.3 अवधि : एक वर्ष (या दो सेमेस्टर)

31.4 पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी संकाय में

31.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर स्थापित किया जा सकेगा।

31.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

31.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

31.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालअभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

31.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

31.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दो सेमेस्टर के पश्चात दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

31.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

31.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

31.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

31.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–32

विधि में स्नातक (एल.एल.बी.)

32.1 शीर्षक : विधि में स्नातक (एल.एल.बी.)

32.2 संकाय : विधि

32.3 अवधि : तीन वर्ष या छः सेमेस्टर

32.4 पात्रता : किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता।

32.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

32.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

32.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

32.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड ल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता हैः

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

32.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

32.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

32.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : भारतीय विधिज्ञ परिषद् (BCI) द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा और उसी अनुरूप पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।

32.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

32.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

32.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश – 33
मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.)

1. **एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड :**

1.1. एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा तत्संबंधी वैधानिक विनियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित व्यवसायिक उपाधि के साथ–साथ कुल न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या यूजीसी 7 पाइंट स्केल में उसका समकक्ष श्रेणी (या पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जब कभी भी ग्रेडिंग पद्धति का अनुपालन किया जाता हो) या मूल्यांकन प्रत्यायन एजेंसी शैक्षणिक संस्थाओं के गुणवत्ता एवं मानक के निर्धारण, प्रत्यायन या प्रत्याभूत करने के प्रयोजन के लिए स्वदेश में विधि के अधीन स्थापित या निगमित प्राधिकारी द्वारा अथवा उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो, के द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि होना चाहिए।

1.2. 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, 5 प्रतिशत अंकों की छूट या श्रेणी के समकक्ष छूट, आयोग के समय–समय पर किये गये निण्रय के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./(गैर क्रीमीलेयर) प्रवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों अथवा वे अभ्यर्थी जो 19 सितंबर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्रापत किया था, के लिये–अनुज्ञात किया जा सकेगा। पात्रता अंक 55 प्रतिशत (या पाइंट स्केल में समकक्ष श्रेणी जब कभी ग्रेडिंग पद्धति का अनुपालन किया जाता हो) एवं उपरोक्त उल्लिखित प्रवर्गों के लिये 5 प्रतिशत छूट, कृपोत्तीर्ण प्रकियाओं को सम्मिलित किये बिना अर्हकारी अंक के आधार पर ही अनुज्ञेय है।

2. **कार्यकम की अवधि :**

2.1 एम.फिल. कार्यक्रम न्यूनतम दो लगातार सेमेस्टर/एक वर्ष और अधिकतम चार (4) लगातार सेमेस्टर/दो वर्ष के लिए होगा।

2.2 उपरोक्त सीमाओं से परे अपवादित मामलों में शोध परामर्श कमेटी के अनुशंसा एवं शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से विस्तारण दिया जायेगा।

2.3 महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगों (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता) को अधिकतम अवधि में एम.फिल. हेतु एक वर्ष की छूट दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को एम.फिल. की संपूर्ण अवधि में 240 दिनों तक के लिए एक बार मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा।

3. **प्रवेश हेतु प्रकिया :**

3.1 विश्वविद्यालय स्वयं के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एम.फिल. के विद्यार्थियों को प्रवेश देगा।

3.2 विश्वविद्यालयः

3.2.1 स्कॉलर–शिक्षक अनुपात (पैरा 6.5 में यथा दर्शित), प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं ऐसी अन्य सुविधाओं संबंधी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों की संख्या एवं अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के आधार पर प्रवेश दिये जाने वाले एम.फिल. स्कॉलरों की संख्या का पूर्व निर्धारण एवं प्रबंधन के लिये अपने शासी परिषद् के माध्यम से वार्षिक आधार पर निर्णय करेगा।

3.2.2 प्रवेश के लिये सीटों की संख्या उपलबध सीटों के विषय/संकायवार वितरण, प्रवेश के लिये मानदण्ड, प्रवेश के लिये प्रकिया, परीक्षा केन्द्र जहां परीक्षा आयोजित किया जायेगा एवं अभ्यर्थी के हित के सभी अन्य सुसंगत जानकारी को संस्थान के वेबसाइट में अग्रिम में तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, में विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित करेगा।

3.2.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति जैसा कि लागू हो, का अनुसरण किया जायेगा।

3.3 प्रवेश यूजीसी एवं तत्संबंधी अन्य वैधानिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों/मानकों को ध्यान में रखते हुये, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा केन्द्र/राज्य शासन की आरक्षण नीतियों को ध्यान में रखा जायेगा।

3.4 विश्वविद्यालय, दो चरण प्रकिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगाः

3.4.1 पात्रता अंक 50 प्रतिशत के साथ प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यकम शोध पद्धति शास्त्र का 50 प्रतिशत तथा विशेषीकृत विषय में 50 प्रतिशत से मिलकर बनेगा। प्रवेश परीक्षा अग्रिम में अधिसूचित कर केन्द्र में (केन्द्र में परिवर्तन यदि कोई हो तो भी अग्रिम में अधिसूचित करना होगा) आयोजित की जायेगी।

3.4.2 विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार/मौखिकी आयोजित की जायेगी, विभागीय शोध समिति का जब अभ्यर्थी को उनके शोध अभिरूचि/क्षेत्र का सम्यक रूप से गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के माध्यम विवेचित करना आवश्यक हो, विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार/मौखिकी आयोजित की जायेगी।

3.5 साक्षात्कार/मौखिकी में निम्नलिखित पक्षों पर भी विचार किया जायेगा, जैसे, क्या :

3.5.1 अभ्यर्थी, प्रस्तावित शोध हेतु सक्षमता रखता है;

3.5.2 शोध कार्य संस्थान/महाविद्यालय में उपयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

3.5.3 शोध का प्रस्तावित क्षेत्र नये/अतिरिक्त ज्ञान के लिये योगदान कर सकता है।

3.6 विश्वविद्यालय वर्गवार के आधार पर सभी एम.फिल. पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची संधारित करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम, नामांकन/पंजीकरण का दिनांक सम्मिलित होगा।

4. **शोध पर्यवेक्षक का आबंटन** : शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षकों के अनुसार अनुज्ञेय एम.फिल. स्कॉलर के नाम आदि के लिए पात्रता मानदण्ड।

4.1 निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम पॉच शोध प्रकाशन के साथ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी नियमित प्रोफेसर तथा पीएचडी उपाधि तथा निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम दो शोध प्रकाशन सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रूप में माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी नियमित सह/सहायक प्रोफेसर को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। परन्तु क्षेत्र/संकाय जहाँ निर्दिष्ट जर्नल की संख्या न हो या केवल सीमित संख्या हो तो संस्थान, लिखित के कारणों को लेखबद्ध करने सहित शोध पर्यवेक्षक के रूप में व्यक्ति की मान्यता के लिये उपरोक्त शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

4.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रूप में माने गये संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के केवल पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे । बाह्य पर्यवेक्षक को अनुमति नहीं होगी । तथापि सह–पर्यवेक्षक को शोध सलाहकार समिति के अनुमोदन से उसी संस्थान के अन्य विभाग से अथवा अन्य संबंधित संस्थान से अंतरानुशासनिक क्षेत्रों में अनुमति होगी ।

4.3 चयनित शोध स्कॉलर के लिये शोध पर्यवेक्षक का आबंटन पर, प्रत्येक शोध पर्यवेक्षक पर स्कॉलरों की संख्या के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जायेगा । पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता तथा साक्षात्कार/मौखिकी के समय उनके द्वारा यथा दर्शित स्कॉलरों के शोध में अभिरूचि के आधार पर किया जायेगा ।

4.4 ऐसे मामलों में जिसमें अंतरानुशासनिक प्रकृति का शीर्षक हो जहाँ संबंधित विभाग महसूस करता हो कि विभाग में विशेषज्ञता बाहर से अनुपूरित किया जाये, विभाग स्वंय से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर सकेगा जो शोध पर्यवेक्षक के रूप जाना जायेगा एवं बाह्य विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान से ऐसे निबंधन और शर्त पर जैसा कि संस्थान/महाविद्यालयों की सहमति से विनिर्दिष्ट एवं सहमत हो, नियुक्त हो सकेगा ।

4.5 कोई शोध पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक जो प्रोफसर है दिये गये समय बिन्दु में तीन (3) एम. फिल. स्कॉलरों से अधिक को गाईड नहीं कर सकेगा । शोध पर्यवेक्षक के रूप में सह–प्रोफेसर अधिकतम दो (2) तक एम.फिल. स्कॉलरों को गाईड कर सकेगा तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक प्रोफेसर अधिकतम एक (1) तक एम.फिल. स्कॉलर को गाईड कर सकेगा ।

4.6 विवाह या अन्यथा के कारण किसी एम.फिल. महिला स्कॉलर के स्थान परिवर्तन की दशा में, विश्वविद्यालय जिसमें स्कॉलर स्थान परिवर्तन हेतु आशय रखता है में शोध डाटा स्थानांतरित करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इन नियमों में सभी अन्य शर्तों का अनुपालन अक्षरशः किया जायेगा एवं शोध कार्य, फंडिंग एजेंसी से मूल संस्था/पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त परियोजना से संबंधित नहीं होगा । तथापित स्कॉलर पूर्व में किये गये शोध के भाग के लिये मूल गाईड एवं संस्था को विधिवत् क्रेडिट देगा ।

5. **पाठ्यक्रम कार्य** :– अपेक्षित क्रेडिट, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु न्यूनतम मानक आदि ।

5.1 एम.फिल. पाठ्यक्रम कार्य को समनुदेशित क्रेडिट न्यूनतम 08 केडिट एवं अधिकतम 16 केडिट होगा।

5.2 पाठ्यकम कार्य को एम.फिल. की तैयारी के लिये पूर्वापेक्षा के रूप में माना जायेगा। न्यूनतम चार केडिट शोध पद्धतिशास्त्र पर एक या अधिक पाठ्यकमों के लिये समनुदेशित किया जायेगा। जिसमें ऐसे क्षेत्र हो सकेंगे जैसे कि परिमाणात्मक रीति, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, सुसंगत क्षेत्र में शोध आचार एवं प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण क्षेत्र कार्य आदि होंगे। अन्य पाठ्यकम, एम.फिल की उपाधि के लिये तैयारी करने वाले विद्यार्थियों हेतु उच्च स्तरीय पाठ्यकम होगा।

5.3 एम.फिल. पाठ्यक्रम कार्य हेतु विहित सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट घंटे अनुदेशात्मक (शैक्षणिक) आवश्यकता के अनुरूप होगा एवं विषयवस्तु, शैक्षणिक और निर्धारण रीति, विनिर्दिष्ट करेगा। प्राधिकृत शैक्षणिक निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।

5.4 विभाग जहां स्कॉलर अपने शोध का अनुशीलन करता है, शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा पर उसके लिये पाठ्यक्रम विहित करेगा जैसा कि नीचे दी गई उप–खण्ड 8 के अधीन नियत है।

5.5 एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेशित सभी अभ्यर्थी से आरंभिक एक या दो सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

5.6 शोध पद्धति शास्त्र पाठ्यक्रम सहित पाठ्यक्रम कार्य में ग्रेड हेतु शोध सलाहकार समिति एवं विभाग द्वारा संयुक्त निर्धारण पश्चात् अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अंतिम ग्रेड संस्था/महाविद्यालय को संसूचित किया जायेगा।

5.7 पाठ्यक्रम में निरंतर पात्र होने के लिये पाठ्यक्रम कार्य में यूजीसी 7 पाइंट स्केल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष श्रेणी एम.फिल. स्कॉलर को अभिप्राप्त करना होगा तथा शोध निबंध/थीसिस प्रस्तुत करना होगा।

6. शोध सलाहकार समिति और इसके कार्य–

6.1 प्रत्येक एम.फिल. स्कॉलर के लिये एक शोध सलाहकार समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक) कुलपति या उसका नामिति

(दो) संबंधित संकाय का संस्था प्रमुख

(तीन) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का प्रमुख

(चार) अध्यक्ष, संबंधित विषय का अध्ययन मंडल

(पांच) अध्ययन मंडल के अध्यक्ष द्वारा दिये गये पांच विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की श्रेणी का एक बाह्य विषय विशेषज्ञ।

बाह्य विशेषज्ञ एवं दो अन्य सदस्यों से गण पूर्ति होगी।

टीप :–

1. पर्यवेक्षक के अनुरोध पर, कुलपति उसे अनुमति दे सकेगा कि वह आर.डी.सी. बैठक में उस अभ्यर्थी के मौखिक प्रस्तुति के दौरान अवलोकनकर्ता के रूप में उपस्थित रहें।

2. शोध उपाधि समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए अभ्यर्थी एवं पर्यवेक्षक को कोई वाहन भत्ता एवं मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। स्कॉलर को शोध पर्यवेक्षक इस समिति का आयोजक होगा। इस समिति के पास निम्नलिखित दायित्व होंगे:–

6.1.1 शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना एवं शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

6.1.2 अध्ययन रूपरेखा एवं शोध पद्धतिशास्त्र का विकास करने के लिए शोध स्कॉलर के गाइड करना एवं पाठ्यक्रम जिसमें वह करना चाहता है, का चिन्हांकन करे।

6.1.3 शोध स्कॉलर को शोध कार्य की प्रगति की सवधिक समीक्षा करना एवं उसमें सहायता करना।

6.2 शोध स्कॉलर, मूल्यांकन एवं अग्रतर मार्गदर्शन के लिए उसके कार्य की प्रगति प्रस्तुति के लिए 6 माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होगा। छःमाही प्रगति रिपोर्ट, शोध स्कॉलर को एक प्रति सहित, संस्थान/महाविद्यालय को शोध सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

6.3 यदि शोध स्कॉलर की प्रगति असंतोषजनक है तो शोध सलाहकार समिति उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी और उपयुक्त उपायों हेतु सुझाव देगी। यदि शोध स्कॉलर इन उपयुक्त उपायों को क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो शोध सलाहकार समिति, शोध स्कॉलर, के पंजीयन को रद्द करने के लिये विशिष्ट रूप से कारण दर्शाते हुये विश्वविद्यालय को अनुशंसा कर सकेगी।

7. उपाधि प्रदान करने के लिये मूल्यांकन एवं निर्धारण पद्धति न्यूनतम मानक एवं क्रेडिट :–

7.1 एम.फिल उपाधि प्रदान करने के लिये अपेक्षित समग्र न्यूनतम क्रेडिट पाठ्यक्रम कार्य हेतु क्रेडिट सहित, 24 क्रेडिट से कम नहीं होगा।

7.2 पाठ्यक्रम कार्य के संतुष्टिपूर्वक पूर्ण नहीं होने पर तथा उपखण्ड 7.8 में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त होने पर जैसा भी स्थिति हो, एम.फिल. स्कॉलर से शोध कार्य करने तथा इन विनियमों के अनुसार संबंधित

संस्था द्वारा यथा नियत युक्तियुक्त समय के भीतर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

7.3 शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व, स्कॉलर, संबंधित संस्थान के शोध सलाहकार समिति के समक्ष विभाग में प्रस्तुति देगा। जो सभी संकाय सदस्यों एवं अन्य शोध स्कॉलरों के लिए खुला रहेगा। उनसे प्राप्त फीडबैक एवं टिप्पणी को सलहाकार समिति से परामर्श कर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप में उपयुक्त रूप से निगमित कर सकेगा।

7.4 एम.फिल. स्कॉलर सम्मेलन/सेमीनार में कम से कम एक शोध पेपर में उपस्थित रहेगा तथा निर्णय के लिये शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व सम्मेलन/सेमीनार में दो पेपर में प्रस्तुति देगा। प्रस्तुति प्रमाणपत्र और/या पुनः मुद्रण के रूप में उसके लिये सदस्य प्रस्तुत करेगा।

7.5 विश्वविद्यालय के शासी परिषद बेहतर विकसित साफ्टवेयर प्रयुक्त यंत्र एवं साहित्यिक चोरी को तथा शैक्षिक बेइमानी के अन्य रूप को पकड़ने वाले गजट शामिल करेगा। मूल्यांकन के लिये प्रस्तुति के समय शोध निबंध/थीसिस के लिए शोध स्कॉलर से वचन पत्र लेंगे तथा कार्य प्रत्ययन की मूलता की सत्यता करने वाले शोध पर्यवेक्षक से प्रमाणपत्र लेंगे कि यह साहित्यिक चोरी नही है तथा उस संस्थान जहां वह कार्य कियान्वित किया गया है या किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु यह कार्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7.6 शोध स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत एम.फिल. शोध निबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक द्वारा और कम से कम एक बाह्य परीक्षक जो संस्थान/महाविद्यालय के नियोजन में न हो के द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई आलोचना पर, किन्हीं अन्य बातों के आधार पर, मौखिक परीक्षा उनमें से दोनों द्वारा आयोजित की जायेगी तथा शोध सलाहकार समिति के सदस्य, विभाग के सभी संकाय सदस्य, अन्य शोध स्कॉलर एवं अन्य अधिकारी रखने वाले विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं की उपस्थिति के लिये खुला रहेगा।

7.7 शोध निबंध/थीसिस के परिरक्षण के लिये शोध स्कॉलर का सार्वजनिक मौखिकी तथी संचालित की जायेगी यदि शोध निबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों के मूल्यांकन रिपोर्ट संतुष्टि पूर्ण हो तथा मौखिकी परीक्षा संचालन के लिये विशिष्ट अनुशंसा शामिल है। यदि एम.फिल शोध निबंध के मामले में बाह्य परीक्षक का मूल्यांकन रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्ण है तथा मौखिकी की अनुशंसा नहीं की गई है तो विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से दूसरे बाह्य परीक्षक को शोध निबंध भेजेगा तथा मौखिकी परीक्षा तभी आयोजित की जायेगी यदि अंतिम परीक्षक का रिपोर्ट संतुष्टि पूर्वक है। यदि अंतिम परीक्षक का रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्व है तो शोध निबंध/थीसिस निरस्त कर दिया जायेगा और शोध स्कॉलर को उपाधि प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

7.8 विश्वविद्यालय ऐसे युक्तियुक्त पद्धति विकसित करेगा जिससे शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर एम.फिल. शोध निबंध के मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

8. दूरस्थ पद्धति/अंशकालीन माध्यम से एम.फिल. का संचालन

8.1 इन विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय दूरस्थ पद्धति पर एम.फिल कार्यक्रम संचालित नहीं करेगा।

9. इन्फ्लिबनेट के साथ निक्षेपागार :

9.1 मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं एम.फिल. उपाधि के अवार्ड के घोषित होने के पूर्व, संबंधित संस्थान उसी की मेजबानी के लिये इन्फ्लिबनेट को एम.फिल. शोध निबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति ऐसे प्रस्तुत करेगा जिससे सभी संस्थान/महाविद्यालय के लिये सुगम हो।

9.2 उपाधि के वास्तविक अवार्ड के पूर्व इस आशय का अनंतिम प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय जारी करेगा कि उपाधि, यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है।

अध्यादेश – 34
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एचडी.)

1. **पी.एचडी कार्यकम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड :**

इन विनियमों में नियत शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति पी.एचडी कार्यक्रम में प्रवेश होने हेतु पात्र है :–

1.1 उपरोक्त खण्ड एक के अधीन नियत मापदण्ड का समाधान करने वाले मास्टर डिग्री धारी

1.2 अभ्यर्थियों जो कुल न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या यूजीसी 7 पाइंट स्केल में उसका समकक्ष श्रेणी (या पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जब कभी भी ग्रेडिंग पद्धति का अनुपालन किया जाता हो) एम.फिल पाठ्यक्रम कार्य उत्तीर्ण हो तथा जो एम.फिल. उपाधि सफलता पूर्वक पूरा करता हो वह एकीकृत कार्यक्रम में उसी संस्था में पी.एचडी उपाधि अग्रसरित शोध कार्य करने हेतु पात्र होगा ।

55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, 5 प्रतिशत अंकों की छूट या श्रेणी के समकक्ष छूट, आयोग के समय–समय पर किये गये निर्णय के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./(गैर क्रीमीलेयर)/दिव्यांग एवं अन्य प्रवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये–अनुज्ञात किया जा सकेगा।

1.3 व्यक्ति जिसने एम.फिल. शोध निबंध मूल्यांकित किया है एवं मौखिकी लंबित है, उसी संस्थान के पी. एचडी. कार्यक्रम में प्रवेश ले सकेगा।

1.4 अभ्यर्थी, जो भारतीय संस्थान के एम.फिल. उपाधि के समकक्ष विचारणीय उपाधि, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी जो शैक्षणिक संस्थाओं के गुणवत्ता एवं मानक के निर्धारण, प्रत्यायन या प्रत्याभूत करने के प्रयोजन के लिए स्वदेश में विधि के अधीन स्थापित या निगमित प्राधिकारी द्वारा अथवा उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो, के द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए, पी.एचडी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

2. **कार्यकम की अवधि :**

2.1 पी.एचडी. कार्यक्रम न्यूनतम दो लगातार सेमेस्टर/एक वर्ष और अधिकतम चार (4) लगातार सेमेस्टर/दो वर्ष के लिए होगा।

2.2 उपरोक्त सीमाओं से परे अपवादित मामलों में शोध परामर्श कमेटी के अनुशंसा एवं शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से विस्तारण दिया जायेगा।

2.3 महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगों (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता) को अधिकतम अवधि में पी.एचडी. हेतु एक वर्ष की छूट दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को पी.एचडी. की संपूर्ण अवधि में 240 दिनों तक के लिए एक बार मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा।

3. **प्रवेश हेतु प्रकिया :**

3.1 विश्वविद्यालय स्वयं के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पी.एचडी. के विद्यार्थियों को प्रवेश देगा। विश्वविद्यालय का शासी परिषद उन विद्यार्थियों जो यूजीसी–नेट (जेआरएफ सहित) /यूजीसी–सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/स्लेट/गेट/शिक्षक फेलोशीप धारक या एम.फिल कार्यक्रम उत्तीर्ण के लिये पृथक से निबंधन एवं शर्तें विनिश्चित करेगा ।

3.2 विश्वविद्यालय :

3.2.1 स्कॉलर– शिक्षक अनुपात (पैरा 6.5 में यथा दर्शित), प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं ऐसी अन्य सुविधाओं संबंधी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों की संख्या एवं अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के आधार पर प्रवेश दिये जाने वाले पी.एचडी. स्कॉलरों की संख्या का पूर्व निर्धारण एवं प्रबंधन के लिये अपने शासी परिषद् के माध्यम से वार्षिक आधार पर निर्णय करेगा।

3.2.2 प्रवेश के लिये सीटों की संख्या उपलबध सीटों के विषय/संकायवार वितरण, प्रवेश के लिये मानदण्ड, प्रवेश के लिये प्रकिया, परीक्षा केन्द्र जहां परीक्षा आयोजित किया जायेगा एवं अभ्यर्थी के हित के सभी अन्य सुसंगत जानकारी को संस्थान के वेबसाइट में अग्रिम में तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, में विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित करेगा।

3.2.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति जैसा कि लागू हो, का अनुसरण किया जायेगा।

3.3 प्रवेश यूजीसी एवं तत्संबंधी अन्य वैधानिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों/मानकों को ध्यान में रखते हुये, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा केन्द्र/राज्य शासन की आरक्षण नीतियों को ध्यान में रखा जायेगा।

3.4 विश्वविद्यालय, दो चरण प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा :

3.4.1 पात्रता अंक 50 प्रतिशत के साथ प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम शोध पद्धति शास्त्र का 50 प्रतिशत तथा विशेषीकृत विषय में 50 प्रतिशत से मिलकर बनेगा। प्रवेश परीक्षा अग्रिम में अधिसूचित कर केन्द्र में (केन्द्र में परिवर्तन यदि कोई हो तो भी अग्रिम में अधिसूचित करना होगा) आयोजित की जायेगी।

3.4.2 विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार/मौखिकी आयोजित की जायेगी, विभागीय शोध समिति का जब अभ्यर्थी को उनके शोध अभिरूचि/क्षेत्र का सम्यक रूप से गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के माध्यम विवेचित करना आवश्यक हो, विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार/मौखिकी आयोजित की जायेगी।

3.5 साक्षात्कार/मौखिकी में निम्नलिखित पक्षों पर भी विचार किया जायेगा, जैसे, क्या :

3.5.1 अभ्यर्थी, प्रस्तावित शोध हेतु सक्षमता रखता है;

3.5.2 शोध कार्य संस्थान/महाविद्यालय में उपयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

3.5.3 शोध का प्रस्तावित क्षेत्र नये/अतिरिक्त ज्ञान के लिये योगदान कर सकता है।

3.6 विश्वविद्यालय वर्गवार के आधार पर सभी पीएचडी पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची संधारित करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम, नामांकन/पंजीकरण का दिनांक सम्मिलित होगा।

4. **शोध पर्यवेक्षक का आबंटन** : शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षकों के अनुसार अनज्ञेय पी.एचडी. स्कॉलर के नाम आदि के लिए पात्रता मानदण्ड।

4.1 निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम पॉच शोध प्रकाशन के साथ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी नियमित प्रोफेसर तथा पी.एचडी. उपाधि तथा निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम दो शोध प्रकाशन सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रूप में माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी नियमित सह/सहायक प्रोफेसर को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। परन्तु क्षेत्र/संकाय जहॉ निर्दिष्ट जर्नल की संख्या न हो या केवल सीमित संख्या हो तो संस्थान, लिखित के कारणों को लेखबद्ध करने सहित शोध पर्यवेक्षक के रूप में व्यक्ति की मान्यता के लिये उपरोक्त शर्त को शिथिल कर सकेगा।

4.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रूप में माने गये संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के केवल पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। बाह्य पर्यवेक्षक को अनुमति नहीं होगी । तथापि सह–पर्यवेक्षक को शोध सलाहकार समिति के अनुमोदन से उसी संस्थान के अन्य विभाग से अथवा अन्य संबंधित संस्थान से अंतरानुशासनिक क्षेत्रों में अनुमति होगी।

4.3 चयनित शोध स्कॉलर के लिये शोध पर्यवेक्षक का आबंटन पर, प्रत्येक शोध पर्यवेक्षक पर स्कॉलरों की संख्या के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जायेगा। पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता तथा साक्षात्कार/मौखिकी के समय उनके द्वारा यथा दर्शित स्कॉलरों के शोध में अभिरूचि के आधार पर किया जायेगा।

4.4 ऐसे मामलों में जिसमें अंतरानुशासनिक प्रकृति का शीर्षक हो जहॉ संबंधित विभाग महसूस करता हो कि विभाग में विशेषज्ञता बाहर से अनुपूरित किया जाये, विभाग स्वंय से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर सकेगा जो शोध पर्यवेक्षक के रूप जाना जायेगा एवं बाह्य विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान से ऐसे निबंधन और शर्त पर जैसा कि संस्थान/महाविद्यालयों की सहमति से विनिर्दिष्ट एवं सहमत हो, नियुक्त हो सकेगा।

4.5 कोई शोध पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक जो प्रोफसर है दिये गये समय बिन्दु में आठ (8) पी.एचडी. स्कॉलरों से अधिक को गाईड नहीं कर सकेगा । शोध पर्यवेक्षक के रूप में सह–प्रोफेसर अधिकतम छः (6) तक पी.एचडी. स्कॉलरों को गाईड कर सकेगा तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक प्रोफेसर अधिकतम चार (4) तक पी.एचडी. स्कॉलर को गाईड कर सकेगा ।

4.6 विवाह या अन्यथा के कारण किसी पी.एचडी. महिला स्कॉलर के स्थान परिवर्तन की दशा में, विश्वविद्यालय जिसमें स्कॉलर स्थान परिवर्तन हेतु आशय रखता है में शोध डाटा स्थानांतरित करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इन नियमों में सभी अन्य शर्तो का अनुपालन अक्षरशः किया जायेगा एवं शोध कार्य, फंडिंग एजेंसी से मूल संस्था/पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त परियोजना से संबंधित नहीं होगा । तथापित स्कॉलर पूर्व में किये गये शोध के भाग के लिये मूल गाईड एवं संस्था को विधिवत् क्रेडिट देगा ।

5. **पाठ्यक्रम कार्य** :– अपेक्षित क्रेडिट, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु न्यूनतम मानक आदि ।

5.1 पी.एचडी. पाठ्यक्रम कार्य को समनुदेशित क्रेडिट न्यूनतम 08 केडिट एवं अधिकतम 16 केडिट होगा।

5.2 पाठ्यकम कार्य को पी.एचडी. की तैयारी के लिये पूर्वापेक्षा के रूप में माना जायेगा। न्यूनतम चार केडिट शोध पद्धतिशास्त्र पर एक या अधिक पाठ्यकमों के लिये समनुदेशित किया जायेगा। जिसमें ऐसे क्षेत्र हो सकेंगे जैसे कि परिमाणात्मक रीति, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, सुसंगत क्षेत्र में शोध आचार एवं प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण क्षेत्र कार्य आदि होंगे। अन्य पाठ्यकम, पी.एचडी. की उपाधि के लिये तैयारी करने वाले विद्यार्थियों हेतु उच्च स्तरीय पाठ्यकम होगा।

5.3 पी.एचडी. पाठ्यकम कार्य हेतु विहित सभी पाठ्यकम क्रेडिट घंटे अनुदेशात्मक (शैक्षणिक) आवश्यकता के अनुरूप होगा एवं विषयवस्तु, शैक्षणिक और निर्धारण रीति,

विनिर्दिष्ट करेगा। प्राधिकृत शैक्षणिक निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।

5.4 विभाग जहां स्कॉलर अपने शोध का अनुशीलन करता है, शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा पर उसके लिये पाठ्यक्रम विहित करेगा । जैसा कि नीचे दी गई उप–खण्ड 8.1 के अधीन नियत है।

5.5 पी.एचडी. कार्यक्रम में प्रवेशित सभी अभ्यर्थी से आरंभिक एक या दो सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

5.6 पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पी.एचडी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो गया है अथवा जिन्होंने पूर्व से ही एम.फिल. में पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पी.एचडी. एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है उन्हें विभाग द्वारा पी.एचडी. पाठ्यक्रम कार्य में छूट प्रदान की जा सकती है । अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पी.एचडी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पी.एचडी. पाठ्यक्रम कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा ।

5.7 शोध पद्धति शास्त्र पाठ्यक्रम सहित पाठ्यक्रम कार्य में ग्रेड हेतु शोध सलाहकार समिति एवं विभाग द्वारा संयुक्त निर्धारण पश्चात् अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अंतिम ग्रेड संस्था/महाविद्यालय को संसूचित किया जायेगा।

5.8 पाठ्यकम में निरंतर पात्र होने के लिये पाठ्यकम कार्य में यूजीसी 7 पाइंट स्केल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष श्रेणी पी.एचडी. स्कॉलर को अभिप्राप्त करना होगा तथा शोध निबंध/थीसिस प्रस्तुत करना होगा।

6. **शोध सलाहकार समिति और इसके कार्य–**

6.1 प्रत्येक पी.एचडी. स्कॉलर के लिये एक शोध सलाहकार समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक) कुलपति या उसका नामिति

(दो) संबंधित संकाय का संस्था प्रमुख

(तीन) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का प्रमुख

(चार) अध्यक्ष, संबंधित विषय का अध्ययन मंडल

(पांच) अध्ययन मंडल के अध्यक्ष द्वारा दिये गये पांच विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की श्रेणी का एक बाह्य विषय विशेषज्ञ। बाह्य विशेषज्ञ एवं दो अन्य सदस्यों से गण पूर्ति होगी।

टीप :– 1. पर्यवेक्षक के अनुरोध पर, कुलपति उसे अनुमति दे सकेगा कि वह आर.डी.सी. बैठक में उस अभ्यर्थी के मौखिक प्रस्तुति के दौरान अवलोकनकर्ता के रूप में उपस्थित रहें।

2. शोध उपाधि समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए अभ्यर्थी एवं पर्यवेक्षक को कोई वाहन भत्ता एवं मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। स्कॉलर को शोध पर्यवेक्षक इस समिति का आयोजक होगा। इस समिति के पास निम्नलिखित दायित्व होंगे :–

6.1.1 शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना एवं शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

6.1.2 अध्ययन रूपरेखा एवं शोध पद्धतिशास्त्र का विकास करने के लिए शोध स्कॉलर के गाइड करना एवं पाठ्यकम जिसमें वह करना चाहता है, का चिन्हांकन करे।

6.1.3 शोध स्कॉलर को शोध कार्य की प्रगति की सवधिक समीक्षा करना एवं उसमें सहायता करना।

6.2 शोध स्कॉलर, मूल्यांकन एवं अग्रतर मार्गदर्शन के लिए उसके कार्य की प्रगति प्रस्तुति के लिए 6 माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होगा। छःमाही प्रगति रिपोर्ट, शोध स्कॉलर को एक प्रति सहित, संस्थान/महाविद्यालय को शोध सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

6.3 यदि शोध स्कॉलर की प्रगति असंतोषजनक है तो शोध सलाहकार समिति उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी और उपयुक्त उपायों हेतु सुझाव देगी। यदि शोध स्कॉलर इन उपयुक्त उपायों को क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो शोध सलाहकार समिति, शोध स्कॉलर, के पंजीयन को रद्द करने के लिये विशिष्ट रूप से कारण दर्शाते हुये विश्वविद्यालय को अनुशंसा कर सकेगी।

7. उपाधि प्रदान करने के लिये मूल्यांकन एवं निर्धारण पद्धति न्यूनतम मानक एवं क्रेडिट :—

7.1 पाठ्यक्रम कार्य के संतुष्टिपूर्वक पूर्ण नहीं होने पर तथा उपखण्ड 7.8 में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त होने पर जैसा भी स्थिति हो, पी.एचडी. स्कॉलर से शोध कार्य करने तथा इन विनियमों के अनुसार संबंधित संस्था द्वारा यथा नियत युक्तियुक्त समय के भीतर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

7.2 शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व, स्कॉलर, संबंधित संस्थान के शोध सलाहकार समिति के समक्ष विभाग में प्रस्तुति देगा। जो सभी संकाय सदस्यों एवं अन्य शोध स्कॉलरों के लिए खुला रहेगा। उनसे प्राप्त फीडबैक एवं टिप्पणी को सलहाकार समिति से परामर्श कर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप में उपयुक्त रूप से निगमित कर सकेगा।

7.3 पी.एचडी. स्कॉलर सम्मेलन/सेमीनार में कम से कम एक शोध पेपर में उपस्थित रहेगा तथा निर्णय के लिये शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व सम्मेलन/सेमीनार में दो पेपर में प्रस्तुति देगा। प्रस्तुति प्रमाणपत्र और/या पुनः मुद्रण के रूप में उसके लिये सदस्य प्रस्तुत करेगा।

7.4 विश्वविद्यालय के शासी परिषद बेहतर विकसित साफ्टवेयर प्रयुक्त यंत्र एवं साहित्यिक चोरी को तथा शैक्षिक बेइमानी के अन्य रूप को पकड़ने वाले गजट शामिल करेगा। मूल्यांकन के लिये प्रस्तुति के समय शोध निबंध/थीसिस के लिए शोध स्कॉलर से वचन पत्र लेंगे तथा कार्य प्रत्ययन की मूलता की सत्यता करने वाले शोध पर्यवेक्षक से प्रमाणपत्र लेंगे कि यह साहित्यिक चोरी नही है तथा उस संस्थान जहां वह कार्य कियान्वित किया गया है या किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु यह कार्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7.5 शोध स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत पी.एचडी. शोध निबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक द्वारा और कम से कम एक बाह्य परीक्षक जो संस्थान/महाविद्यालय के नियोजन में न हो के द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई आलोचना पर, किन्हीं अन्य बातों के आधार पर, मौखिक परीक्षा उनमें से दोनों द्वारा आयोजित की जायेगी तथा शोध सलाहकार समिति के सदस्य, विभाग के सभी संकाय सदस्य, अन्य शोध स्कॉलर एवं अन्य अधिकारी रखने वाले विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं की उपस्थिति के लिये खुला रहेगा।

7.6 शोध निबंध/थीसिस के परिरक्षण के लिये शोध स्कॉलर का सार्वजनिक मौखिकी तथी संचालित की जायेगी यदि शोध निबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों के मूल्यांकन रिपोर्ट संतुष्टि पूर्ण हो तथा मौखिकी परीक्षा संचालन के लिये विशिष्ट अनुशंसा शामिल है। यदि पी.एचडी. शोध निबंध के मामले में बाह्य परीक्षक का मूल्यांकन रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्ण है तथा मौखिकी की अनुशंसा नहीं की गई है तो विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से दूसरे बाह्य परीक्षक को शोध निबंध भेजेगा तथा मौखिकी परीक्षा तभी आयोजित की जायेगी यदि अंतिम परीक्षक का रिपोर्ट संतुष्टि पूर्वक है। यदि अंतिम परीक्षक का रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्व है तो शोध निबंध/थीसिस निरस्त कर दिया जायेगा और शोध स्कॉलर को उपाधि प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

7.7 विश्वविद्यालय ऐसे युक्तियुक्त पद्धति विकसित करेगा जिससे शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर पी.एचडी. शोध निबंध के मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

8. दूरस्थ पद्धति/अंशकालीन माध्यम से पी.एचडी. का संचालन :

8.1 इन विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय दूरस्थ पद्धति पर पी.एचडी. कार्यक्रम संचालित नहीं करेगा।

8.2 अंशकालिक पी.एचडी., अनुज्ञात की जायेगी परन्तु विद्यमान पी.एचडी. विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति हो।

9. इन्फ्लिबनेट के साथ निक्षेपागार :

9.1 मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं पी.एचडी. उपाधि के अवार्ड के घोषित होने के पूर्व, संबंधित संस्थान उसी की मेजबानी (होस्ट करने) के लिये इन्फ्लिबनेट को पी.एचडी. शोध निबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति ऐसे प्रस्तुत करेगा जिससे सभी संस्थान/महाविद्यालय के लिये सुगम हो।

9.2 उपाधि के वास्तविक अवार्ड के पूर्व इस आशय का अनंतिम प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय जारी करेगा कि उपाधि, यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है।

अध्यादेश–35

बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स (बी.वोक.)

35.1 शीर्षक : बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स (बी.वोक.)

35.2 संकाय : व्यवसायिक अध्ययन

35.3 अवधि : 3 वर्ष (या 6 सेमेस्टर)

35.4 पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 या इसके समकक्ष

35.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

35.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट।

35.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

35.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

35.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

35.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। छः सेमेस्टर के पश्चात छः सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

35.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

35.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

35.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

35.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–36
व्यवसाय प्रशासन एवं विधि में एकीकृत स्नातक कार्यक्रम (बी.बी.ए.+एल.एल.बी.)

36.1 शीर्षक : व्यवसाय प्रशासन में स्नातक एवं विधि में स्नातक

36.2 संकाय : विधि

36.3 अवधि : 5 वर्ष (या 10 सेमेस्टर)

36.4 पात्रता : न्यूनतम 45% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से किसी भी संकाय में 10+2 सीटें रिक्त रहने की दशा में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।

36.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

36.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।

36.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

36.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

36.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

36.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रताः वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दस सेमेस्टर के पश्चात दसो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

36.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : भारतीय विधिज्ञ परिषद् (BCI) द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा और उसी अनुरूप पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।

36.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

36.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

36.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–37
कला एवं विधि में एकीकृत स्नातक कार्यक्रम (बी.ए.+एल.एल.बी.)

37.1 शीर्षक : कला में स्नातक एवं विधि में स्नातक

37.2 संकाय : विधि

37.3 अवधि : 5 वर्ष (या 10 सेमेस्टर)

37.4 पात्रता : न्यूनतम 45% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से किसी भी संकाय में 10+2, सीटें रिक्त रहने की दशा में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।

37.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

37.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।

37.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

37.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

37.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

37.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दस सेमेस्टर के पश्चात दसो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

37.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : भारतीय विधिज्ञ परिषद् (BCI) द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा और उसी अनुरूप पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।

37.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

37.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

37.14 सामान्यः पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश—38
विज्ञान एवं शिक्षा में एकीकृत स्नातक कार्यक्रम (बी.एस.सी.+बी.एड.)

38.1 शीर्षक : विज्ञान में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक

38.2 संकाय : शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण

38.3 अवधि : 4 वर्ष (या 8 सेमेस्टर)

38.4 पात्रता : न्यूनतम 45% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से किसी भी संकाय में 10+2, सीटें रिक्त रहने की दशा में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।

38.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

38.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट।

38.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

38.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

38.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

38.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। आठ सेमेस्टर के पश्चात आठो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा।

38.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा और उसी अनुरूप पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।

38.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

38.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

38.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–39
वाणिज्य एवं शिक्षा में एकीकृत स्नातक कार्यक्रम (बी.कॉम.+बी.एड.)

39.1	शीर्षक :	वाणिज्य में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक
39.2	संकाय :	शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण
39.3	अवधि :	4 वर्ष (या 8 सेमेस्टर)
39.4	पात्रता :	न्यूनतम 45% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से किसी भी संकाय में 10+2, सीटें रिक्त रहने की दशा में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।
39.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
39.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट।
39.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
39.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
39.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
39.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। आठ सेमेस्टर के पश्चात आठ सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
39.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा और उसी अनुरूप पाठ्यकम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।
39.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
39.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
39.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–40
कला एवं शिक्षा में एकीकृत स्नातक कार्यक्रम (बी.ए.+बी.एड.)

40.1 शीर्षक : कला में स्नातक एवं शिक्षा में स्नातक

40.2 संकाय : शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण

40.3 अवधि : 4 वर्ष (या 8 सेमेस्टर)

40.4 पात्रता : न्यूनतम 45% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से किसी भी संकाय में 10+2, सीटें रिक्त रहने की दशा में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत कुलपति की अनुमति से 5% कम किया जा सकेगा।

40.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

40.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।

40.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

40.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

40.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग.पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

40.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। आठ सेमेस्टर के पश्चात आठो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा।

40.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई दिशा निर्देश का पालन किया जावेगा और उसी अनुरूप पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना तैयार किया जायेगा।

40.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

40.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

40.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–41
व्यावसाय प्रशासन में डिप्लोमा (डीबीए)

41.1 शीर्षक : व्यावसाय प्रशासन में डिप्लोमा

41.2 संकाय : व्यवसाय प्रबंध / वाणिज्य / प्रशासन / वित्त

41.3 अवधि : 1 वर्ष (या 2 सेमेस्टर)

41.4 पात्रता : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2,

41.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

41.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।

41.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

41.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

41.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

41.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दो सेमेस्टर के पश्चात दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

41.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

41.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

41.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार

41.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–42
व्यावसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीए)

42.1	शीर्षक :	व्यावसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
42.2	संकाय :	व्यवसाय प्रबंध / वाणिज्य / प्रशासन / वित्त
42.3	अवधि :	1 वर्ष (या 2 सेमेस्टर)
42.4	पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2,
42.5	सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
42.6	प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।
42.7	शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
42.8	चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। संभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
42.9	फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
42.10	उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दो सेमेस्टर के पश्चात दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा।
42.11	पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
42.12	मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
42.13	ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
42.14	सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–43
एक्जीक्यूटीव मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिसट्रेशन (ईएमबीए)

43.1 शीर्षक :	एक्जीक्यूटीव मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिसट्रेशन
43.2 संकाय :	व्यवसाय प्रबंध / वाणिज्य / प्रशासन / वित्त
43.3 अवधि :	18 माह (या तीन सेमेस्टर)
43.4 पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ दो वर्ष का कार्यानुभव
43.5 सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
43.6 प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।
43.7 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
43.8 चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
43.9 फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
43.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। तीन सेमेस्टर के पश्चात तीन सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
43.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
43.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
43.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार
43.14 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–44
पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा (डीजेएमसी)

44.1 शीर्षक :	पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा
44.2 संकाय :	पत्रकारिता एवं जनसंचार
44.3 अवधि :	1 वर्ष (या 2 सेमेस्टर)
44.4 पात्रता :	किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2,
44.5 सीट :	बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
44.6 प्रवेश प्रकिया :	अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।
44.7 शैक्षणिक वर्ष :	जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
44.8 चयन प्रकिया :	विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है : 1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है। 2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
44.9 फीस :	पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।
44.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता :	वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दो सेमेस्टर के पश्चात दो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।
44.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना :	अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित
44.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
44.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड :	विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार
44.14 सामान्य :	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–45
डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइन (डीआईडी)

45.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइन

45.2 संकाय : इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/डिजाइन

45.3 अवधि : 1 वर्ष (या 2 सेमेस्टर)

45.4 पात्रता : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2,

45.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

45.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।

45.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

45.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

45.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

45.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दो सेमेस्टर के पश्चात दोनो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

45.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा समय–समय पर निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप द्वारा तैयार किया जायेगा।

45.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

45.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

45.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–46
डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन (डीएफडी)

46.1 शीर्षक : डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन

46.2 संकाय : कला मानविकी एवं समाज विज्ञान

46.3 अवधि : 1 वर्ष (या 2 सेमेस्टर)

46.4 पात्रता : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2,

46.5 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।

46.6 प्रवेश प्रकिया : अध्यादेश क्रमांक 1 में यथाविनिर्दिष्ट ।

46.7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा

46.8 चयन प्रकिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टी.वी. एवं रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है :

1. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं उसके पालक/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

46.9 फीस : पाठ्यक्रम फीस प्रबंध मण्डल द्वारा छ.ग. पी.यू.आर.सी. के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर यथा विनिश्चित किया जायेगा।

46.10 उत्तीर्ण करने हेतु पात्रता : वार्षिक परीक्षा में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दो सेमेस्टर के पश्चात दो सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक को प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत से कम और 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक को द्वितीय श्रेणी प्रदान किया जायेगा। अन्य अर्हकारी विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी दिया जायेगा ।

46.11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन मण्डल द्वारा यथा विहित तथा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित

46.12 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

46.13 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 2 के अनुसार

46.14 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु समय–समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश–47

डिग्रीयों, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टियों का प्रदान किया जाना

1. अभ्यर्थी, विशिष्ट प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री के लिए विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, यथास्थिति, क्रमशः उक्त प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

2. कुलसचिव, परिणाम घोषित होने के पश्चात् तत्काल विद्या परिषद् के समक्ष प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करने के लिए सभी सफल अभ्यर्थियों के नाम रखेगा। विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन होने पर अनंतिम प्रमाणपत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री, कुलसचिव द्वारा क्रमशः अभ्यर्थियों को जारी किया जायेगा।

3. प्रमाणपत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

4. प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री या कोई अन्य विशिष्टिता/अवार्ड प्रदान करने के लिये विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन को प्रबंध मण्डल के समक्ष उसकी सहमति के लिये रखेगा। प्रबंध मण्डल द्वारा सहमत होने पर, डिप्लोमा, डिग्री एवं प्रमाणपत्र दीक्षांत समारोह में सफल अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा।

5. डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के नामकरण की शब्दावली, अध्यादेश क्रमांक 2 में दर्शित विभिन्न विभागों/संस्था/केन्द्र के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।

अध्यादेश–48

फेलोशिप एवं स्कालरशिप, स्टायफंड, मेडल और पुरस्कारों को प्रदान करने हेतु मापदण्ड

1. (क) विश्वद्यिालय; फेलोशिप, शोध, स्कालरशिप एवं विद्यार्थी स्कालरशिप समाचार पत्र में/ऑनलाइन अधिसूचना के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेगा।

(ख) फेलोशिप, शोध स्कालरशिप एवं अन्य स्कालरशिप के सभी अवार्ड एक समिति के अनुशंसा पर दी जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

एक. कुलाधिपति – अध्यक्ष

दो. कुलपति – सदस्य

तीन. प्रबंध मण्डल/ विद्या परिषद द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त संकाय/विभाग के कोई तीन संस्थान प्रमुख।

चार. कुलसचिव – सदस्य सचिव ।

2. नीचे पैरा 4 में वर्णित सभी शोध फेलोशिप एवं स्कालरशिप को लागू सामान्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अखिल भारतीय फेलोशिप प्रदान करने के लिए मूल्य, अवधि एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सीएसआईआर/डीएसटी/ बीआरएनएस/अन्य विनियामक निकाय द्वारा वर्णित हो।

3. विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा स्थापित स्कालरशिप /फेलोशिप की बहुमूल्यता एवं अवधि विद्या परिषद द्वारा उल्लिखित तथा प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित की जायेगी। अभ्यर्थियों का चयन प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर उल्लिखित विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

एक. फेलो/स्कॉलर का, आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर गाईड के अनुमोदन के अधीन शोध कार्य पूर्णकालिक होगा।

दो. फेलो/स्कॉलर, अवार्ड की अवधि के दौरान कोई नियुक्ति स्वीकार या धारित नहीं करेगा या अन्यथा या किसी अन्य स्त्रोत से परिलाभ, वेतन, छात्रवृत्ति आदि प्राप्त नहीं करेगा, न ही उस अवधि के दौरान किसी व्यवसाय या व्यापार में स्वयं को संलग्न करेगा। तथापि वह, संस्था में एक सप्ताह में 9 घंटे से अनधिक का अध्यापन कार्य प्राप्त कर सकेगा, जहाँ वह कोई पारिश्रमिक स्वीकार्य किये बिना कार्य करेगा।

तीन. फेलो/स्कॉलर, फेलोशिप/स्कालरशिप के अधीन कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् किसी अन्य अध्ययन पाठ्यक्रम ग्रहण नहीं करेगा अथवा किसी परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा। परंतु कुलपति, फेलो/स्कॉलर को गाईड की अनुशंसा पर, भाषा/कम्प्यूटर डिप्लोमा कोर्स ग्रहण करने तथा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा।

परंतु यह और कि उनके लिये छूट दिया जा सकेगा जो परीक्षा में उपस्थित होने के या डिग्री के लिये अनुरोध के बिना, शोध कार्य की समस्या से संबंधित विषय में सम्मिलित होने के इच्छुक हो।

चार. फेलो/स्कॉलर को किसी अन्य स्थान में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कार्य करने के लिये गाईड द्वारा तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि संस्था में जहां वह सभी कार्य दिवसों पर कार्य के लिये है, उसकी उपस्थिति आवश्यक न हो ।

पांच. यदि फेलो/स्कॉलर द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तुत कोई जानकारी गलत अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विद्या परिषद द्वारा अवार्ड को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

छः. यदि किसी भी समय विश्वविद्यालय को प्रतीत होता है कि फेलो/स्कॉलर का कार्यक्रम का संचालन संतुष्टिपूर्ण नहीं है तो फेलोशिप/स्कालरशिप को विद्या परिषद/स्थायी समिति द्वारा निलंबित या वापस लिया जा सकता है।

सातः. (क) सामान्य अवकाश के अतिरिक्त वर्ष में अधिकतम 30 दिवस का अवकाश गाईड एवं कुलपति के अनुमोदन से फेलो/स्कॉलर द्वारा लिया जा सकेगा। तथापि सामान्य अवकाश अवधि अर्थात् ग्रीष्म, दशहरा, दिपावली एवं किसमश अवकाश सम्मिलित नहीं है। फेलो/स्कॉलर को कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगी।

परंतु महिला को अवार्ड की अवधि के दौरान एक बार तीन माह से अनधिक की अवधि के लिये पूर्णकालिक दर पर प्रसुति अवकाश की पात्रता होगी।

(ख) फेलो/स्कॉलर को विशेष प्रकरण में गाईड की अनुशंसा पर अवार्ड की अवधि के दौरान तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये फेलोशिप/स्कालरशिप के बिना आई.एस.बी.एम. द्वारा अवकाश दिया जा सकेगा।

आठ. फेलो/स्कॉलर को संस्थान, जहां वह कार्य कर रहा है, द्वारा विहित फीस भुगतान करना अपेक्षित होगा।

4. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्कालरशिप सामान्यतः प्रथम वर्ष में दो शैक्षणिक सत्र अर्थात् 12 माह के लिये मान्य होगा तथा द्वितीय वर्ष में दस माह की, इस शर्त पर कि स्कालरशिप धारक अध्ययन विषय में संस्था प्रमुख से अध्ययन की दक्षता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

5. स्कालरशिप, 1 अगस्त से मान्य होगी यदि छात्रवृत्ति धारक ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के खुलने की तारीख से 1 माह के भीतर पाठ्यक्रम ग्रहण करता है। तथा सत्र के प्रारंभ से ट्यूशन फीस भुगतान करता है। किसी अन्य स्थिति में यह ऐसी तारीख से मान्य होगा जिस पर अभ्यर्थी पाठ्यक्रम ग्रहण करता है।

6. स्कालरशिप, आगामी वर्ष में प्रत्याहरित हो जायेगी यदि छात्रवृत्ति धारक संबंधित पाठ्यक्रम की पूर्व परीक्षा में कम से कम 60: अंक अर्जित करने में विफल रहता है।

7. यदि स्कालरशिप धारक बीमारी या किसी अन्य कारण से पूर्व परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है तो स्कालरशिप तभी भुगतान की जायेगी यदि संस्था प्रमुख प्रमाणित करता है कि स्कालर परीक्षा के लिये समयक तत्परता से अध्ययन किया है किन्तु उसके नियंत्रण के परे कारण से परीक्षा देने में असमर्थ था ऐसा स्कालर आगामी सत्र के दौरान स्कालरशिप प्राप्त नहीं करेगा किन्तु उत्तरगामी वर्ष के लिये स्कालरशिप प्राप्त करने का हकदार होगा यदि स्कालर प्रथम प्रयास में उत्तरवर्ती वर्ष में अपेक्षित मानक के साथ पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करता हो।

8. स्कालरशिप धारक सदैव अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करेगा तथा अनुशासन के सभी नियमों का पालन करेगा।

9.1 स्कालरशिप समाप्त करने के लिये उत्तरदायी होंगे यदि–

एक.स्कालरशिप धारक मध्यवर्ती सत्र के दौरान अध्ययन निरंतर चालू नहीं रखता है या

दो. स्कालरशिप धारक को, विद्या परिषद की राय में इस अध्यादेश के पैरा 8 के उल्लघंन का दोषी पाये जाने पर, उसके आचरण हेतु स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात तथा यदि विद्या परिषद इस प्रकार निर्देशित करे तो स्कालरशिप धारक, उसके द्वारा आहरित स्कालरशिप की राशि वापस करने हेतु भी जिम्मेदार होगा।

9.2 विद्या परिषद द्वारा पारित समाप्ति (टर्मिनेशन) का आदेश अंतिम होगा ।

अध्यादेश–49
विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्क्रमों हेतु प्रभारित किये जाने वाले परीक्षा फीस

1. विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, कुलपति द्वारा अनुमोदन के पश्चात परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थी द्वारा देय फीस अधिसूचित करेगा । विद्यार्थी जिसने परीक्षा के प्रारंभ के पूर्व विहित फीस का भुगतान नहीं किया है परीक्षा में उपस्थित होने के लिये सामान्य तौर से पात्र नहीं होगा। कुलाधिपति, अपने विवेकानुसार, कतिपय वास्तविक कठिनाईयों के मामले में, फीस के भुगतान करने की अंतिम तारीख में, वृद्धि कर सकेगा, तथापि ऐसे विद्यार्थी का परिणाम सभी देयकों के भुगतान होने तक रोका जायेगा ।

2. परीक्षा फीस विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित तथा प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जायेगी तथा फीस की राशि छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (छग पीयूआरसी) द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

3. अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है फीस की किसी वापसी का पात्र नहीं होगा अथवा उसे आगामी परीक्षा के लिये जमा के रूप नहीं रखा जायेगा। तथापि यदि महिला अभयर्थी प्रसुति कारणवश परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ रहती है तो उसकी फीस आगामी परीक्षा के लिये रखा जा सकेगा । (परन्तु आगामी परीक्षा के लिये फीस जमा करने हेतु आवेदन, संबंधित परीक्षा के पूर्ण होने के तीन माह के भीतर परीक्षा हेतु, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को आवेदन करेगा तथा यह चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा)।

4. परन्तु, तथापि अभ्यर्थी परीक्षा फीस के समायोजन के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह स्नातकोत्तर परीक्षा में अपना संकाय या अपना विषय परिवर्तित करता है।

5. नियमित अभ्यर्थी, जिसे व्याख्यान/प्रायोगिक में उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया गया हो के द्वारा प्रदत्त फीस, किन्ही भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा ।

6. अभ्यर्थी के अंकों में परिवर्तन के होते हुए भी पुनर्मूल्यांकन फीस वापस नहीं होगी ।

7. अभ्यर्थी, जो बीमारी या अन्य कारण से परीक्षा में अपनी उपस्थिति देने में असमर्थ हो फीस की वापसी नहीं होगी। परन्तु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव की अनुशंसा पर कुलपति, तथ्यों का विचारण करते हुए, उसकी वास्तविकता या गुणागुण के बारे में, संतुष्ट होने के पश्चात तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अपेक्षित जॉच करने के पश्चात ठीक आगामी परीक्षा के फीस के उस भाग के समायोजन के लिये आदेश दे सकेगा ।

8. अभ्यर्थी जिसका परीक्षा में उपस्थित होने के पूर्व आकस्मिक निधन हो गया हो का परीक्षा फीस उसके पालक या उत्तराधिकारी को पूर्णतः वापस की जा सकेगी ।

9. अभ्यर्थी जिसका परीक्षा में उपस्थित होने संबंधी आवेदन, मिथ्यापूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने या मिथ्या जानकारी देने के कारण निरस्त कर दिया गया हो की सभी फीस समपहरित हो जायेगी ।

अध्यादेश – 50
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास हेतु मानदण्ड

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विभाग द्वारा बनाये गये छात्रावास, प्रेरणादायक एवं सम्पूर्ण रूप से रहवासी पर्यावरण युक्त होगा जो बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिये महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह सभी स्तर पर विश्वविद्यालय के लक्ष्य के सम्पूरक होगा।

2. सभी समयो में प्रत्येक छात्रावासी, अनुशासन स्तर को उच्च बनाये रखेगा तथा विद्यार्थी, प्रस्थिति को उपयुक्त बनाये रखेगा।

3. छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रवेश प्रमाण के साथ मुख्य वार्डन को विहित प्ररूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। वह व्यक्तिगत तौर पर अपने माता पिता/स्थानीय पालक तथा मूल दस्तावेजों के साथ छात्रावास समिति के समक्ष उपस्थित होगा।

4. छात्रावास में प्रवेश की अनुज्ञा मुख्य वार्डन के परामर्श से वार्डन के विवेकानुसार प्रदान किया जायेगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के द्वारा वास सुविधा लेने पर स्पेशल केयर की सुविधा होगी।

5. छात्रावास में प्रवेश पर, माता–पिता अपेक्षित प्ररूप भरेंगे, स्थानीय पालक तथा छात्रावास में अनुज्ञात विजिटर (आने वाले) का नाम नामांकित करेंगे।

6. विद्यार्थी उसको आवंटित कक्ष का उपयोग करेगा। वह छात्रावास वार्डन की अनुज्ञा के बिना अपना कक्ष परिवर्तित नहीं करेगा या फर्निचर शिफ्ट नहीं करेगा।

7. रहवासी; फाइल फर्निचर, फर्निसिंग, फिक्सर आदि के देखभाल एवं रख–रखाव हेतु जिम्मेदार होगा, छात्रावास की सम्पत्ति के किसी नुकसान होने पर रहवासी ही उसे सुधार करेगा।

8. रहवासी, उपलब्ध कराये गये या वार्डन द्वारा लिखित में विशेष रूप से अनुज्ञप्त से भिन्न किसी विद्युत उपकरणों का प्रयोग करने से विवर्जित होगा।

9. फायर आर्य, हथियार या खतरनाक अस्त्र–शस्त्र रखने के लिए विद्यार्थी पर प्रतिबंध रहेगा। डिफाल्टर को गंभीरता से लिया जाकर निष्काषित किया जायेगा।

10. ड्रग्स/अल्कोहल/एन्टोक्सीकेंट/स्मोकिंग का उपयोग छात्रावास परिसर में कठोरता से प्रतिबंधित होगा। डिफाल्टर को निष्काषित कर दिया जायेगा।

11. रहवासी जो छात्रावास परिसर के भीतर बर्बरता/हिंसा/यौन प्रभावित व्यवहार/उत्पीड़न में लिप्त रहते हो, उन्हें गंभीरता पूर्वक लेते हुए निष्काषित किया जायेगा।

12. विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी ऐसी फीस का भुगतान करेगा जैसा कि प्रबंधन द्वारा समय–समय पर विहित किया जायें।

13. प्रत्येक छात्रावास में वार्डन होगा जो तीन वर्ष की कालावधि के लिये, शासी निकाय की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जैसा कि प्रबंध मण्डल द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

अध्यादेश–51

विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रावधान

1. विश्वविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी सदैव अच्छा आचरण करेगा अध्ययन में लगन प्रदर्शित करेगा, शिष्टता एवं गरिमा बनाये रखेगा, सह–पाठयचर्या गतिविधियों में समुचित रूचि लेगा, वह राष्ट्रीय उच्चता के संस्थान के विद्यार्थी के रूप में उचित रीति में कैम्पस के भीतर एवं बाहर आचरण संहिता का अनुसरण करेगा तथा विश्वविद्यालय का संस्थान जिसका वह विद्यार्थी है के अनुशासन के सभी नियमों का अनुसरण करेगा ।

2. प्रत्येक विद्यार्थी, संस्थान के भीतर एवं बाहर शिक्षकों, प्रशासकों एवं अन्य कर्मचारियों को सम्यक आदर देगा एवं विनम्रता प्रकट करेगा तथा अपने साथी विद्यार्थियों के साथ बेहतर निकटस्थ व्यवहार करेगा ।

3. विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय के आचरण संहिता का कोई उल्लघंन या किसी नियम या विनियम का उल्लघंन अनुशासनहीनता का कार्य माना जायेगा तथा वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा ।

4. निम्नलिखित कार्य गंभीर अनुशासनहीनता का कार्य माना जायेगा और निम्नलिखित में से किन्हीं में लिप्त विद्यार्थी उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगाः
   - (एक) विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एवं बाहर शिक्षकों के आदेश का अपालन एवं दुर्व्यवहार प्रदर्शित करना।
   - (दो) विश्वविद्यालय तथा/या सार्वजनिक संपत्ति या साथी विद्यार्थी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना एवं बर्बरता/हिंसा/यौन अन्तर्निहित व्यवहार/उत्पीड़न में लिप्त होना।
   - (तीन) ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन दोनों माध्यम से अपने शिक्षकों/कर्मचारियों/कैंटिन एवं मेष के संबंध में विश्वविद्यालय परिसर में झगड़ा, लड़ाई करना एवं अपमानजनक शब्द व्यक्त करना
   - (चार) फायर आर्म, अस्त्र शस्त्र एवं गंभीर रूप से खतरनाक उपकरण आदि रखना एवं उपयोग करना।
   - (पॉच) ड्रग्स/अल्कोहल/एन्टोक्सीकेन्ट/टोबोको/पोर्नोग्राफी का किसी भी रूप में उपभोग करना एवं विक्रय करना ।
   - (छः) रैंगिंग जो सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कठोरता से प्रतिबंधित है में लिप्त रहना।
   - (सात) कोई अन्य कार्य जो अनुशासनात्मक समिति द्वारा अवांछनीय अवधारित किया जाये।

5. जब कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय या संस्थान के परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन के उल्लघंन का दोषी पाया गया है अथवा लगातार आलस्यता अथवा कदाचरण का दोषी पाया गया है तो विद्यार्थी जिसमें अध्ययनरत है के संबंधित विभाग/संस्थान प्रमुख, अनुशासनात्मक समिति एवं कुलपति सहित कुलसचिव को सूचना देगा । अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार कुलपति के अनुमोदन से अनुशासनात्मक समिति निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेगी –
   - एक. ऐसे विद्यार्थी को तीन सप्ताह से अनधिक के लिये कक्षा में उपस्थित होने से निलंबित कर सकेगी ।
   - दो. संस्थान से ऐसे विद्यार्थी को निष्कासित कर सकेगी ।
   - तीन. ऐसे विद्यार्थी को आगामी परीक्षा में उपस्थित होने से अनर्ह कर सकेगी ।
   - चार. ऐसे विद्यार्थी को निष्कासित कर सकेगी ।

6. पूर्वोक्त के अनुसार ऐसा दण्ड देने के पूर्व, संबंधित विभाग/संस्था प्रमुख संबंधित विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देगा तथा दण्ड देने के कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा ।

7. ऐसे समय जैसा कि कथित अपराध के संबंध में उसके आचरण के जॉच के लिये आवश्यक हो के लिये, विद्यार्थी को संस्था से अस्थायी तौर पर निलंबित करने की शक्ति संबंधित संस्था प्रमुख को होगी।

8. अवधि जिसके दौरान विद्यार्थी जॉच को पूर्ण करने के दौरान निलंबित रहता है, उस अवधि को परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उसकी उपस्थिति की गणना में सम्मिलित किया जायेगा यदि वह निर्दोष पाया जाता है ।

9. संस्थान से विद्यार्थी का निष्कासन, नामांकित विद्यार्थी के रजिस्टर से उसके नाम का हटाना होगा।

10. विश्वविद्यालय से निष्कासित विद्यार्थी की फीस व्यपगत हो जायेगी।

11. इस प्रकार निष्कासित विद्यार्थी को उसके निष्कासन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या विहित अवधि (जो भी पहले हो) के पूर्ण होने के पूर्व विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। निष्कासित विद्यार्थी उसके निष्कासन की तारीख से विहित अवधि के पश्चात पुनः प्रवेश चाहता है तो उससे विश्वविद्यालय में रहने के दौरान विद्यार्थी के रूप में अच्छा व्यवहार करने का शपथ पत्र लिया जायेगा।

12. विद्यार्थी कल्याण के प्राक्टर/डीन (डीएसडब्ल्यू) की नियुक्ति, अनुशासन बनाये रखने के लिये दो वर्ष की अवधि के लिये कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय/विभागों एवं संस्थाओं के शिक्षण स्टाप के बीच से किया जायेगा। सक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए, संबंधित शिक्षक को कुलपति के अनुमोदन से नियुक्त किया जा सकेगा।

13. विद्यार्थी कल्याण के प्राक्टर/डीन (डीएसडब्ल्यू) की शक्तियॉ एवं कर्तव्य, कुलपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

अध्यादेश 52
विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन हेतु अन्य निकायों का सृजन

1. विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन हेतु निम्नलिखित निकाय होगा –
   (एक) शिक्षा नीति समिति
   (दो) गुणवत्ता प्रबंध समिति
   (तीन) मानद डिग्री अवार्ड समिति

2. शिक्षा नीति समिति में निम्नलिखित होगें
   (एक) कुलपति – अध्यक्ष
   (दो) प्रतिकुलपति
   (तीन) डीन शैक्षणिक कार्य
   (चार) अध्यक्ष पूर्व स्नातक अध्ययन
   (पॉच) अध्यक्ष स्नातकोत्तर अध्ययन
   (छः) तीन डीन / सह–डीन / चकानुकम में संकायों से या कुलपति द्वारा नामांकित
   (सात) कुलपति द्वारा नामांकित दो विद्यार्थी
   (आठ) नामांकित संकाय सदस्य में से एक कनवेनर का कार्य करेगा। प्रतिकुलपति, कुलपति की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा।
   (नौ) महानिदेशक या कुलाधिपति का नामांकित प्रतिनिधि

2.1 समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी –
   (एक) राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर सभी संकायों में नवाचार दृष्टिकोण पर विचार करना ।
   (दो) विद्या परिषद एवं किसी विभाग / संस्था के कोई अन्य समिति / विद्या परिषद द्वारा उसको निर्दिष्ट शिक्षा नीति के सभी मूलभूत मामलों पर विचार करना ।
   (तीन) सिलेबस में उपान्तरण एवं उसके उन्नयन पर विचार करना एवं उस पर कार्यवाही करना
   (चार) भावी शोध गतिविधि पर रिपोर्ट का परीक्षण करना
   (पॉच) यूजीसी / एनकेसी / राज्य शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा नीति को अंगीकार करना।

3. गुणवत्ता प्रबंध मण्डल
   3.1 गुणवत्ता प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे–
      (एक) प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त दो नामिति
      (दो) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त दो नामिति
      (तीन) डीन शैक्षणिक कार्य
      (चार) डीन शिक्षा प्रबंधन
      (पॉच) मुख्य वित्त एवं आडिटर अधिकारी, वित्त एवं प्रचालन
      (छः) विश्वविद्यालय का रजिस्टार
      (सात) महानिदेशक
   3.2 गुणवत्ता प्रबंध मण्डल का कृत्य निम्नानुसार होगाः
      विश्वविद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित पहलुओं पर निष्कर्षों का, कुलाधिपति / प्रायोजित निकाय को विश्लेषण, आचार एवं प्रतिवेदन करना
      (एक) वित्त, कय, स्टाक / वस्तु सूची से संबंधित मुद्दे
      (दो) प्रबंधन एवं रखरखाव से संबंधित सुविधायें
      (तीन) विश्वविद्यालय की प्रमाणिकता, नैतिकता के मुद्दे एवं मानव संसाधन प्रबंधन के मुद्दे
      (चार) स्टॉफ एवं विद्यार्थीयों की शिकायतें

(पॉच) आईटी प्रणाली का प्रबंधन

(छ:) आईएसओ एवं एनएएसी के दिशा निर्देशों के अनुसार एवं राज्य के एवं राष्ट्रीय नियामक निकायों के दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा एवं प्रकिया प्रबंधन

4. मानद डिग्री अवार्ड समिति :

समिति का गठन निम्नानुसार होगा :

(एक) अध्यक्ष / कुलाधिपति –अध्यक्ष

(दो) कुलपति

(तीन) डीन शैक्षणिक कार्य

(चार) कुलसचिव

(पॉच) महानिदेशक

4.1 समिति उन विशिष्ट नामों पर विचार करेगी जो संस्था के लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के ध्यान को अमिट रूप से केन्द्रीत किया है अथवा जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित किया है अथवा जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया है।

4.2 समिति इस प्रकार विचार किये गये नामों को शासी परिषद को अंतिम निर्णय हेतु अग्रेषित करेगी।

अध्यादेश– 53
अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ समन्वय एवं सहयोग की रीति

1. विश्वविद्यालय, विद्यमान विश्वविद्यालय एवं भारत के और विदेश के उच्च शिक्षा संस्थान के साथ समन्वय एवं सहयोग करेगा एवं समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करेगा जिसमें आपसी सहमति से समन्वय एवं सहयोग का विस्तार क्षेत्र उल्लेखित होगा।
2. विश्वविद्यालय, आविर्भावित एवं प्रथागत अध्ययन क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में अपने स्वयं का दुरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र, दुरस्थ प्रादेशिक शिक्षा / शैक्षणिक केन्द्र खोलेगा ।
3. विश्वविद्यालय, शोध एवं परामर्शी कार्य हेतु समय–समय पर देश एवं विदेश में उच्च शिक्षा में संलग्न उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकेगा।
4. विश्वविद्यालय, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को तथा राज्य के विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये शासन के संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकेगा।